रजि० सं० डी-(डी)—73 Regd. No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6, 1977 (श्रावण 15, 1899)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6, 1977 (SRAVANA 15, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जून 1977

सं० पी०/18-प्रशा०-I —संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड-I अधिकारी तथा स्थानापन्न उप सचिव श्री बी० के० लाल को, राष्ट्रपति द्वारा 30-6-1977 के अपराह्न से निवर्तन आयु प्राप्त होने के पश्चात् सरकारी सेवा से सेवा निवृत होने की अनुमति सहर्ष प्रदान की जाती है।

प्र० ना० मुखर्जी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 जुलाई 1977

सं० एम० 19/65-प्रशा०-5 —श्री पूरन चन्द, अपराध सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को श्री एम० एल० गुलाटी जो छुट्टी पर चले गए हैं, के स्थान पर अवकाश रिक्ति के सम्मुख दिनांक 6-6-77 से दिनांक 8-7-77 तक स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली शाखा के रूप में प्रोन्नत किया जाता है।

सं० ए० 19036/4/77-प्रशासन-5— निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री आई० एन० कृष्णा पिल्ले, पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 1-7-77 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में प्रोन्नत करते हैं।

पी० एम० निग,
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 जुलाई 1977

सं० O.II-1045/76 स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल ने डाक्टर वी० दलीप मूर्ति को, 16-6-1977 के पूर्वाह्न से केवल 3 माह के लिये, अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

सं० O.II-1066/77-स्थापना —राष्ट्रपति, डाक्टर कपिल भल्ला को अस्थायी रूप में आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रेड-II (डी०एस०पी०/कम्पनी कमांडर) के पद पर उनकी 7-7-1977 पूर्वाह्न से नियुक्ति करते हैं।

सं० O.II-1066/77-स्थापना —राष्ट्रपति, डाक्टर जागादेश बाबू जम्पाला को अस्थायी रूप में आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रेड II (डी० एस० पी० / कम्पनी कमांडर) के पद पर उनकी 5-7-1977 पूर्वाह्न से नियुक्ति करते हैं।

दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० ओ० II-81/77-स्था० —राष्ट्रपति ले० कर्नल वाइ० जी० माथुर (अवकाश प्राप्त) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में कमाण्डेन्ट के पद पर आगामी आदेश जारी होने प्रति नियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

2. ले० कर्नल माथुर ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के सी० डब्ल्यू० एस० रामपुर में दिनांक 24-6-77 के पूर्वाह्न से कमाण्डेन्ट के पद का कार्यभार संभाला।

दिनांक 18 जुलाई 1977

सं० ओ०-दो-1001/72-स्थापना —श्री श्रीधरन नायर, उप-पुलिस अधीक्षक, ग्रुप सेंटर (पल्लीपुरम) के० रि० पु० दल, 86 दिन की सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी 6-5-77 से 30-7-77 तक की समाप्ति पर 30-7-77 (अपराह्न) से इस दल से सेवा निवृत्त समझे जाएंगे।

ए० के० बन्धोपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-24, दिनांक 18 जुलाई 1977

सं० ई० 16013(1)/5/74-कार्मिक —श्री पी० पी० सिंह, आई० पी० एस० (बिहार 1956), उप महानिरीक्षक/के० औ० सु० ब० दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर को 2 जून, 1977 के अपराह्न से राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया गया है।

सं० ई० 38013 (3)/17/76-कार्मिक —भाजीपुर में स्थानान्तरित होने पर, श्री चन्दगी राम ने 13 जून, 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, सरकारी अफीम और क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई० 28013/1/77-कार्मिक —वार्द्धक्य-क्षय होने पर, श्री हंस राज, सहायक कमांडेंट, के० औ० सु० ब० मुख्यालय नई दिल्ली, ने 30-6-77 के अपराह्न से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ली० सि० बिष्ट,
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 जुलाई 1977

सं० 11/5/77-प्रशा०-I —राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अन्वेषक, श्री आर० के० भाटिया को तारीख 5 जुलाई, 1977 के पूर्वाह्न से 6 महीने की अवधि के लिए या जब तक कोई नियमित अधिकारी उपलब्ध हो, जो भी समय इनमें पहले हो, उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री आर० के० भाटिया का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

रा० भ० चारी,
भारत के महापंजीकार
और पदेन संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 जुलाई 1977

सं० पी०/बी०-23/प्रशा०-I —श्री एस० एन० बनर्जी, ने तारीख 8 जुलाई, 1977 के अपराह्न से उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में उप-निदेशक, जनगणना कार्य के पद का कार्य-भार छोड़ा। उसी तारीख से उनकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार के सुपुर्द की गई।

बद्री नाथ
भारत के उप महापंजीकार
और पदेन उप सचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 15 जुलाई 1977

फा० सं० बी० एन० पी० / सी० / 23/77—कार्यालय महालेखाकार, प्रथम, मध्य प्रदेश ग्वालियर में लेखा अधिकारी श्री एन० जी० किबे को दिनांक 30-6-77 से 31-1-78 तक महाप्रबन्धक, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास म० प्र० के कार्यालय में लेखा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है

दिनांक 17 जुलाई 1977

पत्रावली क्र० बी० एन० पी० / ई० / 8 / एम० / 8—श्री एस० के० माथुर स्थायी निरीक्षक नियंत्रण जो कि बैंक नोट मुद्रणालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न उप-नियंत्रण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उन्हें दिनांक 10-7-77 के अपराह्न से निरीक्षण नियंत्रण के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

पी० एस० शिवराम
महा प्रबन्धक,

कार्यालय महालेखाकार

केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1977

क्रमांक प्रशासन-I / का० आ० / 286 / 5-8 / 77-78 / 822—श्रीमान् महालेखाकार ने इस कार्यालय के श्री आर० के० शर्मा एक स्थाई अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति एफ० आर० 30 (1) के द्वितीय विधान के अन्तर्गत प्रपत्र पदोन्नति लेखा अधिकारी के वेतनक्रम रु० 840-1200 में 1 अप्रैल, 1977 (पूर्वाह्न) के पूर्वव्यापी प्रभाव से आगे आदेश आने तक करने का आदेश दिया है।

अपठनीय
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्र०)

महालेखाकार का कार्यालय, आंध्र प्रदेश

हैदराबाद, दिनांक 12 जुलाई 1977

सं० ई० बी० -1 / 8-132/77-78/134—श्री बी० वी० नरसिम्हाचारी, लेखा अधिकारी महालेखाकार का कार्यालय, आंध्र प्रदेश-I में सेवा से निवृत्त हुए—दि० 30-6-1977 अपराह्न।

दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० ई० बी० 1 / 8-312/77-78/142—महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री सी० ए० मुक्तस्वामी को महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840-40-1000—ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 8-7-77 के अपराह्न से जब तक आगे आदेश न दिये जाएं, नियुक्त किया जाता है। यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेने वाली नहीं है।

सं० ई० बी०-I / 8-312/77-78/ 144—महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री एस० एच० श्रीनिवासन को महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा वेतन-मान रु० 840-40-1000—ई०बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 8-7-77 के अपराह्न से जब तक आगे आदेश न दिये जाएं, नियुक्त किया जाता जाता है। यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है।

एम० आर० मुखर्जी,
प्रवर उप-महालेखाकार (प्रशासन)

मुख्य लेखा परीक्षक का कार्यालय पूर्वी रेलवे

कलकत्ता, दिनांक 19 जुलाई 1977

सं० एल० / 8 / 76—इस कार्यालय के स्थानापन्न सहायक मुख्य लेखा परीक्षक श्री एम० एन० भट्टाचार्य सेवा निवृत्ति आयु प्राप्त कर लेने पर पर 31 मई, 1977 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये।

एम० सी० मुकर्जी,
मुख्य लेखा परीक्षक,
पूर्वी रेलवे

रक्षा मंत्रालय

डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय, सिविल सर्विस,

महानिदेशालय, आर्डनैन्स, फैक्टरियां

कलकत्ता-700069, दिनांक 12 जुलाई 1977

सं० 30/77/ जी० —वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर, श्री नालिनी मोहन चटर्जी, मौलिक एवं स्थायी ए० एस० ओ० दिनांक 30 जून, 1977 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

ओ० पी० घोष,
ए० डी० जी० प्रशासन-I
कृते महानिदेशक आर्डनैंस फैक्टरियां

भारतीय आर्डनैन्स, फैक्टरियां सेवा

कलकत्ता, दिनांक 14 जुलाई 1977

सं० 31/77/ जी० —वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर श्री ए० पी०, वागची, स्थानापन्न उप प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी सहायक प्रबन्ध) दिनांक 31 जुलाई, 1976 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

सं० 32/77/जी० —वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर श्री आर० एस० साहनी स्थानापन्न उप-प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी सहायक प्रबन्धक) दिनांक 30 जून, 1976 से सेवा निवृत्त हुए :—

दिनांक 18 जुलाई 1977

सं० 33/77/ जी० —श्री के० रमानाथन्, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी फोरमैन) अपनी स्वेच्छा से दिनांक 3 मई, 1977 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

एम० पी० आर० पिल्लाय
सहायक महानिदेशक

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1977

आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/155/54-प्रशा० (रा०) / 5105.—राष्ट्रपति, श्री ओ० एन० आनन्द, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भिन्न) को 1-2-77 से 31-5-77 की अवधि के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली में और 1-6-77 से 30-6-77 तक इस कार्यालय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में बिल्कुल तदर्थ एवं अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं।

सं० 6/479/57-प्रशासन (राज०) 5117.—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री बी० जे० हांडा ने दिनांक 30 जून, 1977 के दोपहर बाद से इस कार्यालय में नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ए० एस० गिल
मुख्य नियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई, 1977

सं० 6/941/71-प्रशासन (राज०) / 5173—सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर, श्री पी० बी० सोलंकी ने संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के कार्यालय में 31 मई, 1977 के दोपहर बाद से नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

ए० टी० मुखर्जी
उप-मुख्य नियंत्रक

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 22 जुलाई, 1977

सं० ई० एम० टी०-2 (500).—श्री कल्याणरामन मुत्तू-स्वामी, निदेशक (नान-टेक्नीकल) को 16 मई, 1977 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से निवृत्त होने की अनुमति दी गई है।

एम० सी० सुवर्णा
अपर वस्त्र आयुक्त

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1977

सं० 12/505/65-प्रशा० (राज०) —श्री एन० एन० पुरी ने 2 सितम्बर, 1976 (अपराह्न) से विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली के कार्यालय में निदेशक (ग्रेड-II) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

श्री एन० एन० पुरी, निदेशक (ग्रेड-II) को 31 दिसम्बर, 1976 (अपराह्न) से उनकी अधिवार्षिकी आयु पूरी हो जाने पर राष्ट्रपति सरकारी नौकरी से सेवा-निवृत्त करते हैं।

सं० 12 (694)/71-प्रशा० (राज०) —श्री जे० बी० राममूर्ति को 29 जनवरी, 1977 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग विकास संगठन में सहायक निदेशक, ग्रेड-I (ओ० प्र० प्र०) के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।

सहायक निदेशक, ग्रेड-I (ओ० प्र० प्र०) के पद पर नियुक्त हो जाने पर श्री जे० बी० राममूर्ति ने 29 जनवरी, 1977 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० 12 (711)/72-(प्रशा०) (राज०) —श्री ए० पी० बोस को 4 मार्च, 1977 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग विकास संगठन में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) के पद पर राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सहायक निदेशक (ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त हो जाने पर श्री ए० पी० बोस ने 4 मार्च, 1977 (पूर्वाह्न) से लघु उद्योग सेवा संगठन, कलकत्ता में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 15 जून 1977

सं० 12/517/66-प्रशासन (सामान्य)—राष्ट्रपति सहर्ष श्री जी० रामचन्द्रन्, उप निदेशक (सांख्यिकी) को 31 मई 1977 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि तक या पद के भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-2 में संवर्गबद्ध हो जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर निदेशक (ग्रेड-2) (उत्पादन सूचकांक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. निदेशक (ग्रेड-2) (उत्पादन सूचकांक) की नियुक्त के फलस्वरूप श्री जी० रामचन्द्रन् ने दिनांक 31 मई, 1977 के पूर्वाह्न से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के उप निदेशक (सांख्यिकी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उसी कार्यालय में उसी तिथि से निदेशक (ग्रेड-2) (उत्पादन सूचकांक) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 12/555/67-प्रशासन (सामान्य)—अधिवार्षिक की आयु प्राप्त करने पर श्री पी० एन० गुप्ता, उप निदेशक को 31 मार्च, 1977 के अपराह्न से शासकीय सेवा से सेवा निवृत होने की अनुमति राष्ट्रपति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. तदानुसार श्री पी० एन० गुप्ता ने 31 मार्च, 1977 के अपराह्न में लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर के उप निदेशक पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 12/578/68-प्रशासन (सामान्य)—राष्ट्रपति, श्री ए० मुखर्जी को लघु उद्योग विकास संगठन में, 4 अप्रैल 1977 (पूर्वाह्न) से 30 जून, 1977 तक या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी शीघ्र हो, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (ग्रेड-1) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. सहायक निदेशक (ग्रेड-1) के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप श्री ए० मुखर्जी ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, कलकत्ता, के सहायक निदेशक (ग्रेड-II) पद का कार्यभार दिनांक 4 अप्रैल, 1977 के पूर्वाह्न से छोड़ दिया और उसी संस्थान में उसी तिथि से सहायक निदेशक (ग्रेड-1) का कार्यभार संभाल लिया ।

सं० क-19018(279)/77-प्रशासन (सामान्य)—विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली, श्री एन० पी० भटनागर, लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (आर्थिक अन्वेषण), को दिनांक 7-5-77 से 31-12-77 तक की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा न जाए, जो भी शीघ्र हो, कार्यालय, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली, में तदर्थ आधार पर, सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (आर्थिक अन्वेषण) के पद पर तदर्थ रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं । सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (आर्थिक अन्वेषण) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री एन० पी० भटनागर ने दिनांक 7 मई, 1977 (पूर्वाह्न) को इसी कार्यालय में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (आर्थिक अन्वेषण के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

वी वेंकटरायुलू
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग
भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर, दिनांक 12 जून 1977

सं० ए० 1901/2/87/77-स्था० ए-श्री डी० के० कुन्दु, स्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक भूवैज्ञानिक को दिनांक 28-5-1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग "ब" के पद में नियमित आधार पर स्थानापन्न सहायक खान भूवैज्ञानिक के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है ।

सुरेश चन्द
कार्यालय अध्यक्ष
भारतीय खान निगम

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय
देहरादून, दिनांक 11 जुलाई 1977

सं० ई1-5246/913-एच — इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ई-5147/913-एच दिनांक 20-10-1976 के अनुक्रम में महासर्वेक्षक कार्यालय के श्री आर० के० घमोली, हिन्दी अधिकारी के तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 30-9-1977 तक या जब तक कि पद नियमित आधार पर भरा जाता है, जो भी पहले हो, बढ़ा दी जाती है ।

दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० गो० 5248/594—निम्नलिखित तकनीकी सहायकों, मानचित्र प्रतिकृति (सेलेक्शन ग्रेड) को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक प्रबंधक, मानचित्र प्रतिकृति (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "बी") के पद पर 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000 द० रो०- 40-1200 रु० के वेतनमान में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों के अगले आदेश दिए जाने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है :-

नाम तथा पद	तारीख	कार्यालय, जिसमें नियुक्त किया गया है ।
1. श्री जेड० डेनिम	13-6-77 (पूर्वाह्न)	सं० 101 (हा० लि० का०) मुद्रण वर्ग मानचित्र प्रकाशन निदेशालय देहरादून
2. श्री तारापद सिन्हा	9-6-77 (पूर्वाह्न)	सं० 102, (फो० लि० का०) मुद्रण वर्ग (पूर्वी सर्किल) कलकत्ता ।
3. श्री अत्तर सिंह	4-6-77 (पूर्वाह्न)	सं० 103 (फो० ज० का०) मुद्रण वर्ग, मानचित्र प्रकाशन निदेशालय, देहरादून ।

सं० गो० 5249/718-ए —श्री यू० एस० श्रीवास्तवा, स्थानापन्न अधीक्षक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, जिन्हें इस कार्यालय की अधिसूचना सं० गो० 5197/71ए दिनांक 29-3-1977 के अधीन दिनांक 7-3-77 (पूर्वाह्न) से मानचित्र प्रकाशन निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, वे अब श्री एस० डी० करारिया, स्थापना एवं लेखा अधिकारी के दिनांक 20-6-1977 (पूर्वाह्न) से अवकाश पर चले जाने के कारण उनके स्थान पर उसी निदेशालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न करते रहेंगे ।

दिनांक 18 जुलाई, 1977

सं० गो० 5252/707—निम्नलिखित ड्राफ्टसमैन, डिवीजन 1 सेलेक्शन ग्रेड, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी सर्वेक्षक (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी०') के पद पर 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200 रु० के वेतनमान में दिनांक 9 जून, 1977 से तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए जाते हैं :-

नाम	कार्यालय जिसमें नियुक्त किया गया है ।
1. श्री पी० सी० मित्रा	सं० 4 आरेखण कार्यालय (द० स०) बैंगलूर
2. श्री एम० के० अनंथानारायनन	

के० एल० खोसला
मेजर जनरल
भारत के महासर्वेक्षक
नियुक्ति प्राधिकारी

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

कलकत्ता-12, दिनांक 18 जुलाई, 1977

सं० एफ० 92-131/77-स्थापना/17368—श्री आर० के० सिंह, वरिष्ठ प्राणि विज्ञान सहायक, मध्य-क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, जबलपुर, को भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के कलकत्ता स्थित मुख्यालय में सहायक प्राणि वैज्ञानिक (ग्रुप 'बी') के पद पर 650-12-00, रु० के वेतनमान में अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर 25 जून, 1977 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जा रहा है।

डा० टी० एन० अनन्तकृष्णन
निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० 4/45/77-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री बुद्धदेब चक्रवर्ती को आकाशवाणी, लखनऊ में 30 जून, 1977 से अगले आदेशों तक कार्य क्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

नन्द किशोर भारद्वाज,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 1977

सं० 20/1(6)/75-के० स० स्वा० यो०-1 (भाग-I)—एस० एम० ई० संगठन, बम्बई से अपना तबादला हो जाने के फलस्वरूप डा० सुरेश प्रकाश, रेडियोलाजिस्ट ने 16 जून, 1977 को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत जनरल ड्यूटी अधिकारी ग्रेड-1 के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ए० 38012/1/77-के० स० स्वा० यो०-I—सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने पर, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत कार्य कर रहे डा० हरभजन सिंह, जनरल ड्यूटी अधिकारी ने 31 मई, 1977 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ए० 38012/2/77-के० स० स्वा० यो०-I—अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से बढ़ाई गई सेवावधि के एक वर्ष के समाप्त होने पर डा० बी० आर० हांडा ने 6 जून, 1977 (अपराह्न) से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली से जनरल ड्यूटी अधिकारी ग्रेड-I के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

राजकुमार जिन्दल,
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 1977

सं० ए० 12026/12/77-प्रशासन-I —स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० के० एल० कोहली को 2 मई, 1977 पूर्वाह्न से 23 जुलाई, 1977 तक 83 दिनों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दंत शल्य चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए० 32014/2/77(एस० जे०) प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली की भौतिक चिकित्सा विद् श्रीमती एस० पास्सी को 25 फरवरी, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी अस्पताल में वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० 26-8/75-प्रशासन-I —राष्ट्रपति ने श्री शरणजीत सिंह को 31 मई, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक प्लेग निगरानी एकक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, बंगलौर में अनुसंधान अधिकारी (माइक्रोबायोलाजी) (सूक्ष्मजीव विज्ञानी) के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 18 जुलाई 1977

सं० ए० 19019/52/77-(एन० टी० आई०)-प्रशासन-I—राष्ट्रपति ने परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली के श्री हरदन सिंह, अन्वेषक को 30 मई, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर में सांख्यिकी विद् के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

सूरज प्रकाश जिन्दल,
उपनिदेशक, प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 1977

सं० ए० 12026/8/77-डी०—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) के बम्बई स्थित कार्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री सी० एस० चव्हाण को 13 जून, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, सान्ताक्रुज हवाई पत्तन, बम्बई में तकनीकी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

एस० एस० गोठोस्कर,
औषधि नियंत्रक (भारत),
कृते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(ग्राम विकास विभाग)
विपणन और निरीक्षण निदेशालय
(प्रधान शाखा कार्यालय)

नागपुर, दिनांक 1977

सं० फा० 3(13)51/75-वि०-II—वित्त मंत्रालय (राजस्व मंडल), सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 48 दिनांक 24 मई, 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा श्री एस० सुबाराव, विपणन अधिकारी को इस अधिसूचना के जारी किए

जाने की तारीख से दृढ़लोम, जिसका श्रेणीकरण दृढ़लोम श्रेणीकरण और चिह्नन (संशोधन) नियम, 1975 के अनुसार किया जा चुका है तथा जिसका निर्यात उपरोक्त अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन हैं, के सम्बन्ध में श्रेणीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

दिनांक 18 जून 1977

सं० फा० 2/8/76-वि०-II—अधिसूचना सं० 125, 126, 127 दि० 15 सितम्बर, 1962 सं० 1131, 1132 दिनांक 7 अगस्त, 1965 सं० 2907, दिनांक 5 मार्च, 1971 सं०, 3601-क, 3601-ख, 3601-ग, दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 सं० 3102, दि० 3 नवम्बर, 1973 सं० 1133, 1134, 1135 दि० 7 अगस्त, 1965 सं० 448 दि० 14 मार्च, 1964 सं० 1130 दि० 7 अगस्त, 1965 और भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुयीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), विदेश व्यापार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचनाओं के लिए मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से काली मिर्च, मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, धनिया, सौंफ, मेथी, सेलरी बीज, जीरा, प्याज, लहसुन, दाल, खाने के आलू और तेन्दू के पत्ते जिनका श्रेणीकरण कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का I) के खण्ड 3 के अधीन सूत्रीकृत संबद्ध पण्यों के श्रेणीकरण और चिह्नन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जा चुका है, के सम्बन्ध में श्रेणीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

1. श्री के० के० विजयन, सहायक विपणन अधिकारी ।
2. श्रीमती आर० ललिता, वरिष्ठ निरीक्षक ।

जे० एस० उप्पल,
कृषि विपणन सलाहकार

(प्रधान कार्यालय)

फरीदाबाद, दिनांक 13 जुलाई 1977

सं० फा० 4-6(123)/77-प्र०-III—श्री एम० एन० उपाध्याय, वरिष्ठ निरीक्षक को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कलकत्ता में दिनांक 20 जून, 1977 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग II) नियुक्त किया गया है ।

बी० पी० चावला,
निदेशक, प्रशासन,
कृते कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई-400 008, दिनांक 20 जुलाई 1977

संदर्भ : भापाप/स्था/1/चि०-33/3974—भारी पानी परियोजनाओं के विशेष कार्य-अधिकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अस्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा भारी पानी परियोजना (कोटा) के स्थानापन्न सहायक लेखापाल श्री दत्तात्रेय श्रीराम चिने को उसी परियोजना में 2 मई, 1977 (पूर्वाह्न) से 2 जुलाई, 1977 (अपराह्न) तक के लिए श्री सिदल्याली, सहायक लेखा अधिकारी, जो छुट्टी पर गए हैं, के स्थान पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

टी० सी० सत्यकीर्ति,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र

कलपक्कम-603102, दिनांक 1 जून 1977

सं० ए० 32013/3/76/आर०-9497—रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र के परियोजना निदेशक, इस केन्द्र के निम्नलिखित अस्थायी कर्मचारियों को 1 फरवरी, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए उसी केन्द्र में 650-30-740; 35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतन-मान में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एस० कृष्णामूर्ति	.	नक्शानवीस 'सी'
2. श्री के० रवीन्द्रन	.	वैज्ञानिक सहायक 'सी'
3. श्री बी० निर्मल गांधी	.	वैज्ञानिक सहायक 'बी'

के० शंकरनारायणन,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी,
कृते परियोजना, निदेशक, रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र

अन्तरिक्ष विभाग

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

त्रिवेन्द्रम-695022, दिनांक 28 जून 1977

सं० वि० सा० अ० के०/स्था०/01-37—विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के निदेशक, निम्नलिखित अधिकारियों को अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी० के० पद पर उनके नामों के सामने दी गई तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री ए० के० चट्टोपाध्याय . . .	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
2.	श्री आलोक बनर्जी . . .	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
3.	श्री विष्णु बिहारीलाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976

1	2	3	4
4.	श्री पी० सी० थोमस	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
5.	श्री टी० एन० विजयगोपालन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
6.	श्री पी० आर० पार्थसारथी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
7.	श्री सुभाष भगवत	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
8.	श्री के० सरेसन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
9.	श्री एन० चोकलिंगम	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
10.	श्री थोमस मैथ्यू	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
11.	श्री एम० शशिधरण नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
12.	श्री के० जी० रामचन्द्रन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
13.	श्री आर० कृष्णकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
14.	श्री एम० वाई० सत्यनारायण प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
15.	श्री एन० अजीत	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
16.	श्री रामकृष्ण कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
17.	श्री सईद महमूद	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
18.	श्री के० एन० बालासुब्रह्मणयन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
19.	श्री एस० वेलायुद्धन नायर	वैज्ञानिक इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
20.	श्री एस० स्वामीनाथन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
21.	श्री आनन्द मल एम० गुलेचा	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1976
22.	श्री आर० राधाकृष्णा पिल्लै	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	4-2-1976
23.	श्री एन० गोपालकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-3-1976
24.	श्री आर० राजाचन्द्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	29-3-1976
25.	श्री एम० पद्मकुमार	वैज्ञानिक इंजीनियर एस० बी०	1-7-1976
26.	श्री यू० पी० प्रकाश	वैज्ञानिक इंजीनियर एस० बी०	1-9-1976
27.	श्री के० उन्नीकृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	15-9-1976
28.	श्री देव कुमार चौधरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	1-1-1977

राजन वी० जार्ज
प्रशासन अधिकारी II (स्थापना) कृते निदेशक

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग
नई दिल्ली-3, दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० ई (1) 01008—वैधशालाओं के महानिदेशक, निम्नलिखित व्यावसायिक सहायकों को स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर निम्नलिखित रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	अवधि		जिस कार्यालय में तैनात किए गए हैं
		से	तक	
1.	श्री एन० वी० परमेश्वरन	4-6-77	31-8-77	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक का कार्यालय (जलवायु विज्ञान) पुणे ।
2.	श्री जी० एस० प्रकाशराव	16-6-77	19-8-77	वेधशालाओं के उप-महानिदेशक का कार्यालय (पूर्वानुमान) पूणे ।
3.	श्री आर० बी० केलकर	16-6-77	19-8-77	
4.	श्री एस० के० दास	6-5-77	2-8-77	प्रादेशिक मौसम केन्द्र, नई दिल्ली ।
5.	श्री ए० के० मेहरा	1-6-77	28-8-77	
6.	श्री बी० शंकरैया	16-6-77	31-8-77	प्रादेशिक मौसम केन्द्र, नागपुर ।
7.	श्री के० नरसिंहमूर्ति	18-6-77	19-8-77	निदेशक, कृषि मौसम विज्ञान, पुणे ।
8.	श्री एस० वेंकटरमणि	16-6-77	19-8-77	
9.	श्री ए० एन० राव	16-6-77	19-8-77	निदेशक (उपकरण) पुणे ।

सं० ई० (1)05859—वेधशालाओं के महानिदेशक, निदेशक, (उपकरण) पुणे के कार्यालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग में व्यावसायिक सहायक श्री के० जयरामन को 9 मई, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक भारत मौसम सेवा, ग्रुप-बी (केन्द्रीय सिविल सेवा, ग्रुप-बी) में सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्री जयरामन, निदेशक (उपकरण) पुणे के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे ।

दिनांक 20 जुलाई 1977

सं० ई (1)06560—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय के व्यावसायिक सहायक श्री एच० सी० मेहरा को 5-7-77 के पूर्वाह्न से 31-8-77 तक अट्ठावन दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री मेहरा स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वेधशालाओं के महानिदेशक के नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में ही तैनात रहेंगे

एम० आर० एन० मणियन
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक और नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1977

सं० ए० 32013/6/76-ई० एस० (i)—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से 28-2-1977 तक तदर्थ आधार पर विमान निरीक्षक के पद पर तैनात किया है ।

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती स्टेशन
	सर्वश्री		
1.	अनुपम बाराची	23-12-76	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, दिल्ली ।
2.	आर० सी० गुप्ता	29-12-76	निरीक्षण कार्यालय, हैदराबाद
3.	एम० मजूमदार	28-12-76	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, कलकत्ता ।
4.	एच० एम० फूल	3-1-77	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, कलकत्ता ।
5.	एल० ए० महालिंग्म	30-12-76	निरीक्षण कार्यालय, बंगलोर
6.	ए० के० राय	31-1-77 (अपराह्न)	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, मद्रास ।
7.	एस० पी० सिंह	28-12-76	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, बम्बई ।
8.	डी० पी० घोष	23-12-76	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, दिल्ली ।
9.	एम० मुहतफा	29-12-76	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, बम्बई ।

सं० ए० 32013/6/76-ई० एस० (ii)—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से 28-2-1977 तक तदर्थ आधार पर वरिष्ठ विमान निरीक्षक के पद पर तैनात किया है :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती स्टेशन
	सर्वश्री		
1.	एस० एल० श्रीवास्तव	27-1-77	निरीक्षण कार्यालय, पटना
2.	फिलिपि मैथ्यू	31-1-77 (अपराह्न)	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, मद्रास ।

दिनांक 12 जुलाई 1977

सं० ए० 12025/6/77-ई० एस०—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने श्री एच० एस० खोला को 29 अप्रैल, 1977 (पूर्वाह्न) से उपनिदेशक विमान सुरक्षा (इंजीनियरी)/ क्षेत्रीय नियंत्रक विमान सुरक्षा (इंजीनियरी) के ग्रेड में नियुक्त किया है और उन्हें क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली के कार्यालय में क्षेत्रीय नियंत्रक विमान सुरक्षा (इंजीनियरी) के रूप में तैनात किया है ।

दिनांक 13 जुलाई 1977

सं० ए०-40012/3/76-ई० एस०—राष्ट्रपति ने मूल नियम 56 (जे) के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, बम्बई के कार्यालय के श्री ए० के० बैनर्जी, विमान निरीक्षक को 2 अप्रैल, 1977 अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत कर दिया है ।

दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० ए० 12025/7/75-ई० एस०—राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग में स्थानापन्न रूप में विमान निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती स्टेशन
	सर्वश्री		
1.	सुखवीन्द्र सिंह नात	17-6-77	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, दिल्ली
2.	सूरज प्रकाश सेन गुप्ता	28-6-77	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, बम्बई ।

वी० वी० जौहरी
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 1977

सं० ए०-32014/1/76-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन से निम्नलिखित दो सहायकों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से अन्य आदेश होने तक नियमित आधार पर सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है और उन्हें उनके नामों के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती स्टेशन
	सर्वश्री		
1.	एस० अरोक्यम	21-3-77 (पुर्वाह्न)	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता ।
2.	ए० एस० कट्टदारे	30-3-77 (पुर्वाह्न)	वैमानिक संचार स्टेशन, लखनऊ ।

दिनांक 7 जुलाई 1977

सं० ए० 32013/11/76-ई० सी०—राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्र, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली के कार्यालय के श्री एस० के० महेश्वरी, संचार अधिकारी को 21 जून, 1977 (पुर्वाह्न) से अन्य आदेश होने तक वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति आधार पर नियमित किया है और उन्हें महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में तैनात किया है ।

दिनांक 15 जुलाई 1977

सं० ए० 32013/17/76-ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री एस० के० दास, सहायक निदेशक संचार (मुख्यालय) नागर विमानन विभाग को 29-6-77 (पुर्वाह्न) से 30 अप्रैल, 1978 तक या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, क्षेत्रीय नियंत्रक संचार के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है और उन्हें कलकत्ता एयरपोर्ट दमदम, कलकत्ता-52 में तैनात किया है ।

पी० सी० जैन,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 14 जुलाई 1977

सं० 1/359/77-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा स्विचिंग समूह, बम्बई के स्थानापन्न तकनीकी सहायक, श्री वी० एस० एन० मूर्ति को अल्पकालिक रिक्त स्थान पर 6-5-77 से 10-6-77 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं ।

पा० कि० गो० नायर,
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय,

इलाहाबाद, दिनांक 4 जुलाई 1977

सं० 21/1977—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के स्थायी निरीक्षक (चयन ग्रेड) श्री आर०सी० मलहोत्रा, जो सांख्यिकी और आसूचना शाखा, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या-II (3)/93-स्थापना/77/6838, दिनांक 11-3-1977 के अन्तर्गत जारी किए गए स्थापना आदेश संख्या 52/1977 दिनांक 11-3-1977 के अनुसार और इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या-II (3)/93-स्थापना/77/8102 दिनांक 1-4-1977 के अन्तर्गत जारी किए गए समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इलाहाबाद का बाद में संशोधित स्थापना आदेश संख्या 81/1977 दिनांक 31-3-1977 के अनुसार अगला आदेश होने तक रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-10-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वर्ग 'ख' के रूप में नियुक्त किए गए थे । श्री मलहोत्रा ने समेकित मण्डल कार्यालय, लखनऊ में अधीक्षक वर्ग 'ख' के कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया ।

के० एस० दलीप सिंह जी,
समाहर्ता

समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,

नागपुर, दिनांक 13 जुलाई, 1977

सं० 11 :—नागपुर समाहर्ताक्षेत्र के सहायक समाहर्ता (छुट्टी अवकाश) श्री एस० एल० तिवारी ने, जो पिछले दिनों सहायक समाहर्ता नागपुर का कार्यभार संभाल रहे थे, सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ग्वालियर प्रभाग का कार्यभार 25 अप्रैल, 1977 पूर्वाह्न से संभाल रहे हैं ।

सं० 12 :—श्री बी० एल० गाँजापुरे ने, उनका तैनात के कारण, सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग 2 नागपुर का कार्यभार दिनांक 28 अप्रैल, 1977 की पूर्वाह्न से संभाल रहे हैं ।

सं० 13 :—श्री एच० एस० बांडे जो पिछले दिनों सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग भोपाल का कार्यालय संभाल रहे थे, उनका स्थानांतरण होने पर सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ग्वालियर का कार्यभार दिनांक 6-5-77 की अपराह्न से संभाल रहे हैं ।

सं० 14—श्री एस० एल० तिवारी, जो पिछले दिनों सहायक समाहर्ता (छुट्टी अवकाश) समाहर्तालय नागपुर में तैनात थे, उनका स्थानान्तरण होने पर सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भोपाल का कार्यभार दिनांक 9-5-77 की अपराह्न से संभाल रहे हैं ।

सं० 15—श्री एन० एस० दीक्षित ने, जो पिछले दिनों सहायक समाहर्ता (लेखा परीक्षा) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता नागपुर का कार्यभार संभाल रहे थे, उनका स्थानान्तरण होने पर सहायक (छुट्टी अवकाश) समाहर्तालय नागपुर का कार्यभार दिनांक 31-5-77 को अपराह्न से संभाल रहे हैं ।

मनजीत सिंह, बिन्द्रा
समाहर्ता

(सीमा शुल्क/सिव्वेंदी)

मद्रास-1, दिनांक 11 जुलाई 1977

सं० 9/77—श्री श्रीनिवास एय्यंगार, आर० कृष्णामाचारी, टि० एल० कृष्णमूर्ति, के० वि० वरदन और जे०, ए० तंगस्या और सोनाधिरि मद्रास सीमाशुल्क घर के वरिष्ठ ग्रेड निवारण अधिकारी 2-5-77 अपराह्न और 1-7-77 पूर्वाह्न से क्रमशः अगला आदेश मिलने तक सीमा शुल्क घर के अधीक्षक पद में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत हुए हैं ।

दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० 10/77—श्री पी० बालसुन्दरम परीक्षक (ओ० जी०) और श्री टी० गोविन्दस्वामी उप कार्यालय अधीक्षक मद्रास सीमाशुल्क घर, की पदोन्नति स्थानापन्न मूल्य निर्धारक के पद पर मद्रास सीमाशुल्क घर के आदेश सं० 113/77 ता० 2-5-77 और सं० 127/77 तारीख 7-5-77 के अनुसार की गयी । उन्होंने तारीख 2-5-77 और तारीख 7-5-77 के अपराह्न को अपने कार्य भार संभाल लिया ।

सं० 11/77—श्री सी० एस० श्रीनिवासन, श्री ओ० पी० पलगूनन और श्री एस० लक्ष्मणन, परीक्षक (एस० जी०) मद्रास सीमाशुल्क घर की पदोन्नति, स्थानापन्न मूल्य निर्धारक के पद पर मद्रास सीमाशुल्क घर के आदेश सं० 128/77 तारीख 7-5-77, सं० 137/77 तारीख 16-5-77 और सं० 143/77 तारीख 24-5-77, के अनुसार की गयी । उन्होंने तारीख 7-5-77, 16-5-77 के अपराह्न और 25-5-77 के पूर्वाह्न को अपना कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० 8/77—श्री डी० बालसुब्रमनियम को 29 अप्रैल 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अस्थाई रूप से सीमाशुल्क घर में सीधी भर्ती अप्रेंसर (विशेषज्ञ) नियुक्त किया जाता है ।

एम० जी० वैद्य,
सीमाशुल्क समाहर्ता,

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1977

सं० 19012 546/75-प्रशासन-पांच—अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री नथ्थी सिंह, सहायक अनुसंधान अधिकारी (भौतिकी विज्ञान) केन्द्रीय जल आयोग का त्यागपत्र दिनांक 29 जून, 1977 (अपराह्न) से स्वीकृत करते हैं ।

वी० जी० मेनोन,
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

महाप्रबन्धक का कार्यालय

(कार्मिक शाखा)

पांडु, दिनांक 8 जुलाई 1977

सं० ई/55/III/95-भाग II(0)—भंडार विभाग के एक अवर वेतनमान अधिकारी श्री आर० के० अवस्थी, को जो इस समय अक्षर प्रशासनिक ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं, दिनांक 18-3-76 से प्रवर वेतनमान में स्थायी किया जाता है ।

कलकत्ता, दिनांक 11 जुलाई, 1977

सं० ई/55/91/भाग-III(ओ)—निम्नलिखित अधिकारियों को परिचालन अधीक्षक/सहायक वाणिज्य अधीक्षक के रूप में, उनके नाम के सामने दी गयी तिथियों से द्वितीय श्रेणी में स्थायी किया जाता है ।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	दिनांक जिससे स्थायी किया गया
1.	श्री जे० एम० चौधुरी	4-11-70
2.	श्री एस० एन० गांगुली	13-12-71
3.	श्री एम० सी० दे	29-1-76
4.	श्री आर० पी० सेनगुप्ता	1-6-76

जी० एस० केसवानी,
महाप्रबन्धक

कलकत्ता, दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० ए० सी० 190/एडमिनि०—श्री एस० के० बनर्जी को सिविल इंजीनियरी विभाग के संवर्ग के लिए आवंटित सहायक उप महा प्रबन्धक के अवर वेतनमान पद पर 2-5-77 से विशेष मामले के रूप में द्वितीय श्रेणी सेवा में स्थायी किया जाता है । प्राधिकार बोर्ड का पत्र सं० 77ई(जी० सी०) 1-8, दिनांक 2-5-77 ।

वी० सी० ए० पद्मनाभन,
महा प्रबन्धक

दिनांक 1 जुलाई 1977

सं० 9—उत्तर रेलवे यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित अधिकारी रेल सेवा से अंतिम रूप से उनके सामने दी गई तिथि से निवृत हो गये हैं :—

1. श्री अनूप सिंह, सहायक निर्माण प्रबन्धक अमृतसर—30-4-77 ।
2. श्री भगत सिंह, सहायक यांत्रिक अभियन्ता प० का०—30-6-77 ।
3. श्री एच० एल० चौधरी, मंडल यांत्रिक अभियन्ता मुरादाबाद—30-6-77 ।
4. श्री एस० एल० श्रीवास्तव, निर्माण प्रबन्धक, चारबाग लखनऊ—30-6-77 ।

अ० एल० कोहली, महाप्रबंधक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

कम्पनी रजिस्ट्रार

अहमदाबाद, दिनांक 12 जुलाई 1977

सं०/1651/लीक्वीडेशन कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 445(ई) के अधीन सूचना मैसर्स शीतले बेवरेजीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कम्पनी अर्जी नं० 66/1976 में अहमदाबाद स्थित उच्च न्यायालय के तारीख 7-3-1977 के आदेश द्वारा मैसर्स शीतले बेवरेजीस प्राइवेट लिमिटेड का परिसमाप का आदेश दिया गया है।

जे० गो० गाथा,
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात, अहमदाबाद

कम्पनी अधिनियम 1956 और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और काशमीर पाइप डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में :—

चन्डीगढ़, दिनांक 14 जुलाई 1977

सं० जी०/स्टेटीकल/560/2376—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश एण्ड काशमीर पाइप डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और जनरल फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में :—

दिनांक 15 जुलाई 1977

सं० जी०स्टेट/560/2778/—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जनरल फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सत्य प्रकाश तायला,
कंपनियों का रजिस्ट्रार पंजाब, हिमाचल-
प्रदेश और चन्डीगढ़

नई दिल्ली-110001, दिनाँक जुलाई 1977

मैसर्स नार्दन इण्डिया लैण्ड एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445(2) के अन्तर्गत नोटिस।

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के दिनांक 1-12-1975 के आदेश से मैसर्स नार्दन इण्डिया लैण्ड एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापित होना, आदेशित हुआ है।

आर० के० अरोड़ा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

सं० 3984/लीक्वी०/सी०एल०ए०/सेक० 560/टी०ए०/77

यतः दिनस्यदी लिमिटेड (इन लिकुडेशन) 101, पुरसवाक्कम हैरोड, मद्रास (इन लिक्विडेशन) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय झुमरी तिलैया, हजारीबाग, कोडरमा में है, का समापन किया जा रहा है। और यतः अधोहस्ताक्षरित यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक रखता है कि कोई समापक द्वारा कार्य नहीं कर रहा है और यह कि लेखा विवरणियां जो समापक द्वारा दिया जाने के लिये अपेक्षित है, यह क्रमवर्ती मास के लिए नहीं दी गई है, अतः जब कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का) की धारा 560 की की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास के अवसान पर दिनस्यदी लिमिटेड (इन लिकुडेशन) का नाम यदि इसके प्रतिकूल हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ह० अपठनीय
कम्पनी रजिस्ट्रार मद्रास
कार्यालय आयकर आयुक्त,

कार्यालय, आयकर आयुक्त

इलाहाबाद, दिनांक 26 मई 1977

आदेश

अधिकार क्षेत्र—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 124(1) और (2) आयकर सर्किल की रचना।

सं० 81(सी) संगा०–/गाजी/तक/77-78—इस आदेश के द्वारा 'आयकर कार्यालय' गाजीपुर' के नाम से एक नये आयकर सर्किल की रचना दिनांक 1-6-1977 से की जाती है।

दिनांक 4 मई 1977

आयकर अधिनियम, 1961—धारा 123(1) और (2) आयकर आयुक्त इलाहाबाद के कार्य क्षेत्र के निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र —

सं० 284/तक/अ०आ०/अधि०क्षेत्र/77-78—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 123 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय से सम्बन्धित सभी पिछले आदेशों को रद्द करते हुए, मैं आयकर आयुक्त, इलाहाबाद इस अधिसूचना के द्वारा निदेश देता हूं कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों में तैनात आयकर के निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त दिनांक 9-5-1977 से उक्त अनुसूची के सम्बन्धित कालम 3 में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों में शामिल क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों और सभी श्रेणियों के व्यक्तियों तथा सभी आयों और आय की श्रेणियों के सम्बन्ध में अपना कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्रम	नि० म० आ० आ० क्षेत्र	क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	1. इलाहाबाद
		2. सुल्तानपुर
		3. फैजाबाद
		4. फतेहपुर
2.	गोरखपुर	1. गोरखपुर
		2. बस्ती
		3. गोंडा
		4. बहराइच
		5. आजमगढ़
		7. बलिया
		7. देवरिया
3.	वाराणसी	1. वाराणसी
		2. मिरजापुर
		3. जौनपुर

शेख अब्दुल्ला,
आयकर आयुक्त

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 जुलाई 1977

निदेश सं० 610/एक्वी०/मेरठ/76-77/2115—अतः, मुझे, आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-11-76 को **पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती उरवेश लधैनी पत्नी मुसदी लाल लहौनी निवासी 18 मिसन कम्पाउण्ड मेरठ ।

(अन्तरक)

(2) श्री जोग धियां साहनी पुत्र श्री देवदत्त मल निवासी 114 थापर नगर मेरठ सिटी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जिसका नं० 114 है जो कि थापर नगर मेरठ में स्थित है रु० 68,000/- में बेची गयी ।

आर० पी० भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 15 जुलाई 1977 ।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 जुलाई, 1977

निदेश सं० 847/अर्जन/आगरा/77-78, — अतः मुझे, आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-12-76 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री रघुबीर प्रसाद अग्रवाल निवासी 3-21 ए सिविल लाइन्स, आगरा ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लज्जावती पत्नी श्री अर्जुन लाल, गीता देवी पत्नी श्री विशन, श्रीमती सुषमा पत्नी श्री भगवान और ओम प्रकाश पुत्र अर्जुन लाल निवासी नाला भैख, बेलनगंज आगरा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कोठी नं० 3/21ए, प्लाट नं० 12, नगर महापालिका, आगरा सिविल लाइन्स, आगरा में स्थित 48000/— के विक्रय मूल्य में बेची गई ।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 15 जुलाई, 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 जुलाई, 1977

निदेश सं० 93/अर्जन/नाफुर/77-78/2119:—अतः, मुझे, आर० पी० भार्गव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नाफुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-12-76 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री गुरदीप सिंह पुत्र हजारा सिंह, और मलगार सिंह पुत्र सन्त सिंह निवासी सककलापुर पोस्ट—सरसक परगना सुलतानपुर त० नाकुर जिला सहारनपुर ।
(अन्तरक)

(2) श्री केहर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, सुख्खा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह और मान सिंह पुत्र हजूर सिंह नि० सककलापुर परगना सुलतानपुर तहसील नाकुर, जिला—सहारनपुर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कृषि भूमि ग्राम सककलापुर परगना सुलतानपुर तहसील नरकुर जिला सहारनपुर में स्थित 45000 में विक्रय मूल्य में बेची गयी ।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 15 जुलाई, 1977 ।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 जुलाई, 1977

निदेश सं० 50/एक्वी०/मेरठ/77-78/2116—अतः, मुझे, आर० पी० भार्गव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-1-77
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भवानी प्रसाद पुत्र गौरी सहाय निवासी, पटेलनगर थापर नगर गली नं० 7 मेरठ मौजूदा नं० हजारी प्याऊ 288 बलेमेन्ट स्ट्रीट मेरठ और श्री मदन मोहन पुत्र लाला गोमती प्रसाद गुप्ता 236 पटेल नगर थापर नगर मेरठ।

(अन्तरक)

(2) श्री मदन लाल पुत्र भगवान दास निवासी बीरकुआं मेरठ और सरवन कुमार पुत्र श्री बद्रीनाथ 285, थापर नगर मेरठ सिटी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति मकान तथा साथ में जमीन जो कि गली नं० 7 थापर नगर मेरठ में स्थित है विक्रय मूल्य रु० 80000/- में बेची गयी।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 19-7-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 18 जुलाई 1977

निदेश सं० 91-ए/अर्जन/देहरादून/77-78/2117:— अतः, मुझे, आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो

में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-12-76 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जवंडा मल भूसरे पुत्र श्री मोहन लाल भूसरे 16, सरकुलर रोड़, देहरादून ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुभाष चन्द्र पुत्र विशन दास 12, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इस में प्रयुक्त शब्दों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 16 सर्कुलर रोड़, देहरादून में स्थित 32,000/- के विक्रय मूल्य में बेची गयी ।

आर० पी० भार्गव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 18 जुलाई, 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 19 जुलाई, 1977

निदेश सं० 89-ए/अर्जन/देहरादून/77-78/2128:— अतः, मुझे, आर० पी० भार्गव,
आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो
में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-12-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जवंडामल भूसरे पुत्र मोहन लाल भूसरे 16, सर्कुलर रोड़, देहरादून ।

(अन्तरक)

(2) श्री विशन दास पुत्र तुलसी दास 12, डिस्पेंसरी देहरादून ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 16 सर्कुलर रोड़, देहरादून का भाग 17000- रु० के विक्रय मूल्य पर बेची गयी ।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 19 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 20 जुलाई 1977

निदेश सं० एक्वी०/कन्नौज/77-78/2126:— अतः, मुझे, आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कन्नौज में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-11-76 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री बाबूराम पुत्र नेकराम निवासी ग्राम बेहरा, परगना तिरखा तहसील कन्नौज सं० थाथिया, जिला फर्रुखाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री राम सिंह, शिव सिंह, नेपाल सिंह (वयस्क) और विनोद सिंह, अवयस्क पुत्र राम किशन और श्रीमती सावित्री स्त्री बाबूराम निवासी बेहरा पो० थाथिया जिला फर्रुखाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जिसमें खेती की भूमि जिसका खाता नं० 130 व माप 4.18 एकड़ है और जो ग्राम बेहरा परगना तिरखा तहसील कन्नौज जिला फर्रुखाबाद में स्थित है 32000/- रुपये में बेची गयी।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर),

तारीख : 20 जुलाई, 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 जुलाई 1977

निदेश सं० 11/नवम्बर/76-77:—यतः मुझे, एस० राजरत्नम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 66 है, जो बीग स्ट्रीट तिरुवन्नामलै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिरुवन्नामलै (पत्र सं० 1370/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-11-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी० दुरैसामी रेड्डीयार ।

(अन्तरक)

(2) श्री ए० चेंगनमल सोकार ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तिरुवन्नामलै बीग स्ट्रीट, डोर सं० 66 (टी० एस० 1167/1, वार्ड I, ब्लाक 19) में मकान की उपर भाग ।

एस० राजारत्नम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास ।

तारीख : 12 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 12 जुलाई 1977

निदेश सं० 12/नवम्बर/76-77:—यतः, मुझे, एम० राजारत्नम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक सं० 19, वार्ड I, तिरुवन्नामलै है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्कर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिवन्नामलै (पत्र सं० 137/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-11-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी० दुरैसामि रेड्डीयार,

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सी० मांगीबाई ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तिरुवन्नामलै, I वार्ड, ब्लाक सं० 19 में 3110 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ), (डी० एस० सं० 1167/1) ।

एम० राजारत्नम,
सक्षम प्राधिकारी,
54, रफीअहमद किदवाई रोड
अर्जन रेंज-I, मद्रास ।

तारीख : 12 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 18 जुलाई, 1977

निदेश सं० 28/नवम्बर/76-77:—यतः, मुझे, एस० राजारत्नम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 97 है, जो नैनियप्प नायकन स्ट्रीट मद्रास-1, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास (पत्र सं० 4393/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1976 का

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है, कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कियागया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री के० एम० एस० आर० कप्पुसामि अयर दर्मम ट्रिस्ट ।

(अन्तरक)

(2) श्री मी० ईन्दरचन्द मेत्ता ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास-1, नैनियप्प नायकन स्ट्रीट डोर सं० 97 (नयी एस० सं० 9164) में 1790 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ) ।

एस० राजारत्नम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास-1

तारीख : 18 जुलाई 1977
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 18 जुलाई, 1977

निदेश सं० 41/नवम्बर/76-77:— यतः, मुझे, एस० राजरत्नम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 22/2 और 3, 77 बी०-2 और 77 बी 1 बी अबदुल्ला पुरम है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दूसी (पत्र सं० 1430/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नवम्बर, 1976

पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० वेंकटाचारी एम० वेदान्तम ।
(अन्तरक)

(3) श्री के० रामसामि नायकर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अबदुल्लापुरम गांव, एस० सं० 22/2 (0.35 एकड़), 22/3 (.0.05 एकड़), 77बी 2(0.29 एकड़) और 77 बी० 1 बी (0.61)एकड़ में 1.30 एकड़ की भूमि (मकान के साथ)।

एस० राजारत्नम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख : 18 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मदास, दिनांक 18 जुलाई, 1977

निदेश सं० 42/नवम्बर/76-77:—यतः, मूझे, एस० राजरत्नम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड II, सालै स्ट्रीट, वेडसन्दूर है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेडसन्दूर (पत्र सं० 984/76), में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, नवम्बर, 1976 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्री एस० मोहमद ईसपेल ।
(अन्तरक)

(2) श्री एस० अब्दूल कादर, ए० अब्दूल सात्तर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मदूरै जिल्ला, वेडसन्दूर, सालै स्ट्रीट डोर सं० 29 में 6774 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ) ।

एस० राजरत्नम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज I, मद्रास

तारीख : 18 जुलाई, 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—II

मद्रास-600006, दिनांक 19 जुलाई, 1977

निदेश सं० 4112/76-77:—यतः, मुझे, एस० राजरत्नम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० निल्लिसिरस, ऊटकमण्ड, "सैयिण्ट क्लौड्स" में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ऊटी (डाकुमेन्ट 1296/76), में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-11-1976

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री डी० कुमार सित्दन्ना ।

(अन्तरक)

(2) श्री बी० मारिदेवस्वर रात;, श्रीमती एम० दनमनि और श्रीमती आर० चन्द्रमनि ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ऊटकमण्ड, डोर सं० 72 और 72 ए में 0.71 2/8 एकड़ की भूमि (मकान के साथ) जिसका आर० एस० सं० 4172, 4173 और 4174) ।

एस० राजरत्नम,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज —II, मद्रास

तारीख : 19 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, 123, माउन्ट रोड

मद्रास-600006, दिनांक 19 जुलाई 1977

निदेश सं० 4116/76–77:—यतः, मुझे, एस० राजरटनम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 27/10, ईस्ट तिरुवेंकटसामि रोड, कोयम्बत्तूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० III, कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट 2811/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सी० वी० सावित्री अम्माल, सकुन्तला, धौरि पट्टाबिरामन और चन्द्रा विस्वनात ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मारि अम्माल और पलनि अम्माल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, ईस्ट तिरुवेंकटसामि रोड, डोर सं० 27/10 (नया टी० एस० सं० 1111 भाग) में 3337 स्कुयर फीट का भूमि (मकान के साथ) ।

एस० राजरटनम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, मद्रास

तारीख : 19 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, 123 माउन्ट रोड, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 19 जुलाई 1977

निदेश सं० 4116/76-77:—यतः, मुझे, एस० राजरटनम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 27/10, ईस्ट तिरुवेंकटसामि रोड, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-III कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट 2812/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 क. 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती सी० वी० सावित्रि अम्माल, सकुन्तला, धौरि पट्टाबिरामन और चन्द्रा तिस्वनात । (अन्तरक)

(2) श्री के० एम० रामसामि चेट्टियार । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोयम्बतूर, आर० एस० पुरम, ईस्ट तिरुवेंकटसामि रोड, डोर सं० 27/10 में 3337 स्कुयर फीट का भूमि (मकान के साथ) (नया एस० सं० 1111/भाग) ।

एस० राजरटनम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–II, 123 माऊन्ट रोड, मद्रास

तारीख : 19 जुलाई 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भा · रकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, माऊंट रोड

मद्रास-600006, दिनांक 19 जुलाई, 1977

निदेश सं० 4118/76-77:—यतः, मुझे, एस० राजरटनम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपए से अधिक है और जिसकी सं० डोर सं० 3/41, बवानी बाजार स्ट्रीट, है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बवानी (डाकुमेण्ट सं० 1758) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18 नवम्बर, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक के है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री एस० इरासु ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० एस० आरुमुगम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बवानी बाजार स्ट्रीट, डोर सं० 3/41 में भूमि और मकान (डाकुमेण्ट 1758) ।

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, मद्रास

तारीख : 19 जुलाई 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, 123, माउंट रोड

मद्रास-600006, दिनांक 19 जुलाई 1977

निदेश सं० 4118/76-77—यतः, मुझे, एस० राजरटनम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 3/41 बाजार स्ट्रीट, बवानी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बवानी (डाकुमेण्ट 1759/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री पी० एस० मूनियप्प गौण्डर और वेंकटाचलम (अन्तरक)

(2) श्रीमती ए० अन्जलि देवी । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बवानी, बाजार स्ट्रीट, डोर सं० 3/41 में भूमि और मकान ।

एस० राजरटनम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 19 जुलाई 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, 123, माउंट रोड

मद्रास-600006, दिनांक 19 जुलाई 1977

निदेश सं० 4125/76–77:—यतः, मुझे, एस० राजरटनम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है।

और जिसकी सं० डोर सं० 60, गांधीजी रोड़, इरोड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० I ईरोड़, (डाकुमेण्ट 3521/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18 नवम्बर, 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री डी० श्रीनिवासन, दुरैसामि, एस० गनेश, एस० करन, (अन्तरक)

(2) श्री ई० आर० रंकस मि। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहि करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इरोड, गाँधीजी रोड, डोर सं० 60 में भूमि और मकान (डाकुमेण्ट) 3521/76)।

एस० राजरटनम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 19 जुलाई 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 19 जुलाई 1977

निदेश सं० 4125/76-77——यतः, मुझे, एस० राजरतनम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 60, गांधीजी रोड, ईरोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० I ईरोड (डाकुमेण्ट 3520/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-11-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :——

(1) श्री डी० सिवकुमार।

(अन्तरक)

(2) श्री ई० आर० रंकसामि।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ईरोड, गांधीजी रोड, डोर सं० 60 में भूमि और मकान (डाकुमेण्ट) 3520/76)।

एस० राजरतनम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–II, मद्रास

तारीख : 19 जुलाई 1977
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 19 जुलाई 1977

निदेश सं० 5364/76–77––यतः, मुझे, एस० राजरतनम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 15, जगदाम्बाल कालनि, रायपेट्टा, मद्रास मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापूर (डाकुमेण्ट 1141/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कोटा बुचि लक्ष्मम्मा ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमति एम० कल्यानसुन्दरि ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास, रायपेट्टा, जगदाम्बाल कालनि, डोर सं० 15 में भूमि और मकान ।

एस० राजरतनम,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 19 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 13 जुलाई 1977

सं० आर० ए० सी० नं० 401—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 27-23-152 गवर्नरपेट है, जो विजयवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और भारतीय और जिसकी सं० 27—23; 152 गवर्नरपेट है, जो विजयवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 10-11-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पूरनम वेंकट सुब्रमन्यासीतारम, मचिलीपटनम। (अन्तरक)

(2) श्री नोरि सीनिवासा फणीद्र, विजयवाड़ा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाड़ा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-11-76 में पंजीकृत दस्तावेज सं० 2897/76 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 13 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 13 जुलाई 1977

सं० आर० ए० सी० नं० 402—यत:, मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 27-4-2 गवर्नरपेट है, जो विजयवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-11-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गजवल्ली वेंकटेस्वरलू, विजयवाड़ा ।

(अन्तरक)

2. श्री गोपु राघवराव, विजयवाड़ा ।

(अन्तरिती)

3. (1) इन्डिया टैर एंड रबर कं० लिमिटेड, विजयवाड़ा
(2) केल्करिया मेटल इन्डस्ट्रीज, विजयवाड़ा ।
(3) श्री के० रामाराव, विजयवाड़ा ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोगमें सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30-11-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2969/76 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 13 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 13 जुलाई, 1977

सं० आर० ए० सी० नं० 403—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 27—4—2 गवर्नरपेटा है, जो विजयवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-12-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती गजवल्ली इत्तालु, विजयवाड़ा । (अन्तरक)
2. श्री गोपु सवापवावु, विजयवाड़ा । । (अन्तरिती)
3. (1) इन्डिया टैर और रबर कं० लिमिटेड, विजयवाड़ा
   (2) एन० धनजयराव , विजयवाड़ा ।
   (3) के० रामाराव, विजयवाड़ा ।
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-12-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3204/76 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

दिनांक : 13-7-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 14 जुलाई 1977

सं० आर० ए० सी० नं० 404:——यतः, मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 26-33-221 और 8-31-60 ए० टि० अग्रहारा है, जो गुन्टूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुन्टूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-11-1976 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्री वेंद्राप्रगडा मोहनराव, गुन्टूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री अडपा सीतारामय्या, गुन्टूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुन्टूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-11-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 5111/76 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा ।

तारीख : 14 जुलाई 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 15 जुलाई 1977

सं० आर० ए० सी० नं० 405:—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 8-212 रामदासपेटा है, जो राजमन्ड्री में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्ड्री में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16-11-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स पेकप्रो इन्डस्ट्रीज राजमन्ड्री ।
(2) श्री एम० रामामूर्ती, राजमन्ड्री ।
(3) श्रीमती जि० लक्ष्मी कोटेस्वरि, राजमन्ड्री ।
(4) श्रीमती जि० पुष्पलता विजयवाड़ा राजमन्ड्री ।
(5) श्रीमति ए० राज्य लक्ष्मी राजमन्ड्री ।
(2) श्री वि० द्रुपदराजु राजमन्ड्री ।

(अन्तरक)

मैसर्स लक्ष्मी आमनेटस राजमन्ड्री
(1) श्री वै० र त्न द्राराव मारकोन्डपाडु ।
(2) श्री जि० वीरराजु कोन्थमूरू ।
(3) श्री पेला वेंकट कृष्ण वास्करराव अन्डलुरु
(4) श्री करदूरी अप्पाराव नागल्लु
(5) श्रीमती चुनडु ललित कुमारी रेपाका
(6) श्री करटूरी लक्ष्मनराव अनकमपालेम
(7) श्रीमती गोटा मनगायमा कोंतमुरु
(8) श्री दनडमूडि वीरराजु कोंतमूरु
(9) श्रीमति सीतारत्नम राजमैन्ड्री
(10) श्रीमती वै वरलक्ष्मी मारकोंडपाडु
(11) श्रीमती एन० अन्नापूर्ना अचनटा
(12) श्रीमति के० सत्यवति चागल्लु
(13) श्री अक्केना कोटेस्वरराव रघुदेवपुरम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

राजमन्ड्री रजिस्ट्री अधिरकारी से पाक्षिक अंत 30-11-76 से पंजीकृत दस्तावेज नं० 3892/76 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकार,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 15 जुलाई 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 15 जुलाई 1977

सं० आर० ए० सी० नं० 406—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 13-15-34 कोटिलिंगाल पेट है, जो राजमन्द्री में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्द्री में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-11-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से बचने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री के० रत्नकुमार, राजमन्द्री ।
मैसर्स के० अप्पारेड्डी, और कं० राजमन्द्री ।
(अन्तरक)

(2) (1) के० अप्पारेड्डी, राजमन्द्री :
(2) टि० वेंकटरेड्डी, राजमन्द्री ।
(3) सत्ती सूर्य प्रभाकर रेड्डी राजमन्द्री ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

राजमन्द्री रजिस्ट्री अधिकारी से पश्चिक अंत 15-11-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3732/76 में निगमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
एक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 15 जुलाई 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 15 जुलाई 1977

सं० आर० ए० सी० नं० 407—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4-9-64 बापटला है, जो बापटला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बापटला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जे० वेंकटेश्वर सर्मा बापटला ।

(अन्तरक)

(2) (1) श्रीमती आर० वेंकट लक्ष्मी, तेनलि ।
(2) आर० सीनिवास सर्मा, तेनलि ।
(3) आर० सुब्रह्मन्या सर्मा तेनलि ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बापटल रिजिस्ट्री अधिकारी में पाक्षिक अंत 15-11-76 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2335/76 में निर्गमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा,

तारीख : 15 जुलाई 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई-400002, दिनांक 16 जुलाई 1977

निदेश सं० अ०ई० 2/2406-9/नव-76—अतः, मुझे, वी० एस० महाजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 44 का दंडा स्कीम है तथा जो दंडा में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29 नवम्बर 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स, राजेश कन्स्ट्रक्शन कं० । (अन्तरक)

(2) बन्द्रा हरमुज्ड् को० हाउ० सो० लि० ।
(अन्तरिती)

(3) 1. श्री शेख मोहम्मद वाई० उमर
2. श्रीमती एस० एस० कुलकर्णी
3. श्रीमती डी० जे० सलदना
4. श्रीमती फर्नान्डीज्
5. श्रीमती ई० डीसूजा
6. श्री आर० जी० छाबरिया
7. श्रीमती पूर्णिमा बी० देसाई
8. श्री बी० दोराबजी कटगरा
9. श्री पी० एल० आर० शेनाय
10. श्री एम० एम० पारेख
11. श्री थामस कुरीन
13. श्रीमती मीरा एस० देश पांडे
14. श्रीमती मीरा एस० देश पांडे
15. श्री एन० ए० नूरन्हा
16. श्री असपी ए० जोखी
17. श्रीमती जे० पी० फेरेरा
18. श्री पी० एम० वनकाडिया
19. श्रीमती मोनिका डी० मोहिन्द्रु
(यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० 486/76/बम्बई उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 29-11-1976 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

वी० एस० महाजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 16 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—2, बम्बई

बम्बई-400002, दिनांक 20 जुलाई, 1977

निदेश सं० अ० ई०-2/2399-2/नव०-76—अतः, मुझे, वी० एस० महाजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सी० एस० नं० 3/842 और फाइनल प्लांट नं० 378 शहर का प्लानिंग स्कीम (बंबई सीटी) नं० 3 माहिम है तथा जो माहिम डिवीजन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुबंध सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-11-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मैसर्स, शांति भगवान दास एंड अन्य। (अन्तरक)

(2) साधना निवास को० आप० हाउ० सो० लि०। (अन्तरिती)

(3) 1. श्रीमती एम० ए० गैतोन्डे
2. श्री आर० एम० शेट्ये
3. श्री ए० जी० बाध
4. श्रीमती एस० ए० तेजवानी
5. श्रीमती मीजिबाई द्वारकादास
6. श्रीमती एस० एम० भट्ट,
7. श्री ए० अलबुक्यूरक्यू
8. श्रीमती जे० ए० जवेकर
9. श्री एन० के० सनथूर
10. श्रीमती पी० बी० देसाई
11. श्रीमती एन० बी० रंगुनेकर
12. श्रीमती एम० के० धिंगा
13. इन्डियन ओवरसीज बैंक
14. श्री जयसिंह तारासिंह
15. श्रीमती जुनेजा
16. मैसर्स रायलैड्म पेपर बाक्स कं०

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० 1097/63/बंबई उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 16-11-1976 को रजिस्टर्ड किया गया है।

वी० एस० महाजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 20 जुलाई, 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—2, बम्बई

बम्बई-400002, दिनांक 20 जुलाई, 1977

निदेश सं० अ० इ०-2 2483-10/नव० 76:—अतः, मुझे, वी० एस० महाजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एन० ए० नं० 53 वी०, सीटी सर्वे नं० सी०/780, सी०/781, सी०/782 और सी०/783 दांडा डिवीजन में जमीन का भाग जिसका सर्वे नं० 216 हिस्सा नं० 1 (ए) है। तथा जो कांत वाड़ी, दांडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-11-1976 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) एल० एं० स्ट्रोनफ एंड कं० (इंडिया) प्रा० लि०।
(अन्तरक)

(2) राजेन्द्र कुमार तुल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० 1028/76/बम्बई उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 17-11-1976 को रजिस्टर्ड किया गया है।

वी० एस० महाजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, बम्बई।

तारीख : 20 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 22 जुलाई, 77

निदेश सं० सी० एच० डी०/63/76-77:—अतः मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2170, सेक्टर 15-सी०, है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री नरायण सिंह, मार्फत श्री भोला सिंह निवासी मकान नं० 622 सेक्टर 11-बी०, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री हरबंस सिंह जोसन पुत्र श्री दियाल सिंह, (2) श्रीमती रनजीत सिंह कौर पत्नी श्री हरबंस सिंह जौसन, निवासी गांव व डाकघर बूर्ज सिद्धवां बरासता मलौट जिला फरीदकोट (पंजाब)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिहायशी प्लाट नं० 2170 (पुराना नं० 5 के०) जो कि सैक्टर 15-सी०, चण्डीगढ़ में स्थित है।

(जैसा कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 641 नवम्बर, 1976 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 22 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 22 जुलाई, 1977

निदेश सं० सी० एच० डी०/64/76-77 :—अतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 161 सैक्टर 18-ए० है, तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री किदार नाथ मल्होत्रा पुत्र श्री गोबिन्द सहाय निवासी शालामार रोड, जम्मू (जम्मू और काश्मीर राज्य)।

(अन्तरक)

(2) श्री कुन्दन लाल ग्रोवर, कर्ता हिन्दु मुशन्द परिवार जिसके सदस्य वह स्वयं अविनाश ग्रोवर, और अजय ग्रोवर, निवासी मकान नं० 161 सैक्टर 18 ए०, चण्डीगढ़

(अन्तरिती)

(3) मैं० के० एल० ग्रोवर और कम्पनी मकान नं० 1161 सैक्टर 18 ए० चण्डीगढ़

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 161 जो कि सैक्टर 18-ए० चण्डीगढ़ में स्थित है।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 646 नवम्बर, 1976 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय में लिखा है।

रवीन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 22 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 22 जुलाई, 1977

निदेश सं० सी० एच० डी० / 67/76-77:—अतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 3169, सैक्टर, 21 डी० है, तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: —

(1) श्री सर्वजीत सिंह सुपुत्र श्री इन्द्र सिंह, उसके मुखतारे आर्मी स्काड्रन लीडर गुरदयाल सिंह सुपुत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी 3169, 21-डी०, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जसमेर कौर विधवा श्री ठाकुर सिंह निवासी मकान नं० 3169 21 डी० चण्डीगढ़

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 3169 जो कि 500.5 वर्ग गज के प्लाट पर बना हुआ है और जो कि सैक्टर 21-डी० चण्डीगढ़ में स्थित है का आधा भाग।

(सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के दिसम्बर, 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 659 में लिखी है)।

रवीन्द्र कुमार पठानियां
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 22 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 22 जुलाई, 1977

निदेश सं० बी० जी० आर०/डी० एल० आई०/77:—

अतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानियां

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 34 जो कि गांव पाला में उद्यौगिक कालोनी, जो कि डी० एल० एफ० उद्यौगिक एस्ट नं० II के नाम से जानी जाती है तथा जो गांव पाला तह० बल्लबगढ़ (गुड़गांव) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सर्वश्री
(1) राम सरूप
(2) नन्द किशोर
(3) अयोध्या प्रसाद, सुपुत्र श्री अमरनाथ निवासी 37 ई० कमला नगर, सब्जी मण्डी, दिल्ली
(अन्तरक)

(2) मैसर्स के० एस० एम० प्रोडक्टस ए०-I/21, सफदरजंग डिवल्पमैन्ट एरिया नई दिल्ली उसके पार्टनर श्री पृथ्वीपाल सिंह सुपुत्र श्री सरदार सिंह द्वारा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 34 जिसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग गज है और जो कि गांव पाला जिला गुड़गाव (हरियाणा) में स्थित उद्यौगिक कालोनी जी० डी० एल० एफ० उद्यौगिक एस्टेट नं० II के नाम से जानी जाती है में स्थित है।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 471 नवम्बर, 1976 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दिल्ली के कार्यालय में लिखा है)।

रवीन्द्र कुमार पठानियां
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 22 जूलाई, 1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक सोनीपत रोड

रोहतक, दिनांक 22 जुलाई 1977

निदेश सं० पी० एन० पी० / 18/76-77:—अतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानियां

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० ई०-15, उद्योगिक एरिया है तथा जो पानीपत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पानीपत म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मै० रामा इंजीनियरिंग एण्ड वीविंग इण्डस्ट्रीयल को० आप्रेटिव सोसायटी लि०, पानीपत । श्री ब्रहम सरूप सैनी के द्वारा 260-माडल टाउन, पानीपत ।

(अन्तरक)

(2) मै० आर० के० वूलन मिल्ज यूनिट II, इण्डस्ट्रीयल, एरिया, पानीपत । श्री सिरी चन्द, पुत्र श्री तेलू राम निवासी ई० -15, इण्डस्ट्रीयल एरिया पानीपत द्वारा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोमर्शल प्रापर्टी नं० ई० -15 जो कि इण्डस्ट्रीयल एरिया पानीपत में स्थित है का भाग ।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6279 दिसम्बर, 1976 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पानीपत के कार्यालय में लिखा है ।

रवीन्द्र कुमार पठानियां
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, सोनीपत रोड, रोहतक

तारीख : 22 जुलाई 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा कार्यालय

भटिंडा दिनांक 14 जुलाई 77

निदेश सं० ए० पी० 17/-77-78 यत: मुझे. पी० एन०-मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दिया गया है तथा जो गढ़ शंकर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गढ़शंकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1/11/1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

7—186GI/77

(1) श्रीमती कंवल जीत कौर पत्नी श्री हरबंस सिंह सेठी दुकान नं० 35 अनाज मंडी गढ़ शंकर

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बक्शीश कौर पत्नी गूरमीत सिंह बेटा प्रताप सिंह गांव पंडौरी गंगा सिंह तहसील गढ़ शंकर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 77 अनाज मंडी गढ़ शंकर में जैसा कि रजि० नं० 2185 तारीख 1-11-76 में है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 14-7-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा, कार्यालय

भटिंडा, दिनांक 14 जुलाई, 77

निदेश नं० ए० पी० 16/ 77-78 :—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनूसूची में दिया गया है। तथा जो जो कोटो वाला छवखी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से दिया गया है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फाजिलका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 क 16) के अधीन, तारीख 26-11-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रामचन्द्र उर्फ राम चन्द बेटा श्री चमन लाल बेटा सरदारी मल बेटा मेघा मल बासी मट

(अन्तरक)

(2) 1. श्री नागर सिंह बेटा जैमल सिंह बासी कोटो वाला धकली

2. श्री भार सिंह बेटा नागर सिंह बबासी कोटो वाला धकली।

3. श्री दर्शन सिंह और मंगल सिंह बेटा दिलावर सिंह बासी कोटा वाला धकली।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोटा वाला धकली गांव में 117 कनाल 8 मरले भूमि जैसा कि रजिस्ट्री न० 1937, 38 और 39 में तारीख 26-11-76 में दिया गया है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भटिंडा

तारीख : 14/7/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भटिंडा,

भटिंडा, दिनांक 2 जुलाई 77

निदेश सं० ए० पी० 14/77-78 :—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है। तथा जो जैतो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैतो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री कलवन्त राय जैतो
(अन्तरक)

(2) श्री तीर्थ राम, श्री बाल मुकन्द पुत्र श्री कुन्दन लाल जैतो।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

7508 वर्गफुट और सिनेमा में 1/19 हिस्सा जो कि कुल 75085 फुट है सिनेमा की बिल्डिंग में भी जैसा कि रजिस्ट्री नं० 938 दिसम्बर, 1976 में दिया गया है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
[सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 2-7-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 2 जुलाई 77

निदेश सं० ए० पी० 15/77-78 :—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दिया गया है। तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री महाराज कृष्ण पुत्र श्री राम रक्खा मल मुतबला श्री तारा चन्द सुखेरा बस्ती अबोहर। (अन्तरक)

(2) श्री वरियाम चन्द, चान्दी राम पुत्र श्री जगु राम पुत्र श्री कालू राम सुखेरा बस्ती अबोहर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० दो में हैं, (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

32 कनाल 4 मरले भूमि जो कि अबोहर से 3 कि० मी० की दूरी पर है। जैसा कि रजिस्ट्री नं० 1381 दिनांक 15/12/76 में दिया गया है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 2/7/77
मोहर।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 2 जूलाई 77

निदेश सं० ए० पी० 13/ 77-78 :—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दिया गया है। तथा जो जैतो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जैतो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री प्यारे लाल जैतो (अन्तरक)

(2) श्री जगदीश राय पुत्र श्री भगवान दास जैतो (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० दो में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3754 वर्ग फुट जमीन और सिनेमा में 1/20 हिस्सा जो कि कुल भाग 75085 का है और सिनेमा की बिल्डिंग में हिस्सा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 939 तारीख दिसम्बर, 1976 में है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 2/7/1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 2 जुलाई 1977

निदेश सं० ए० पी० 12/77-78:—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दिया गया है तथा जो जैतो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैतो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती उषा रानी पत्नी प्यारे लाल जैतो (अन्तरक)

(2) श्री विनोद कुमार, अनिल कुमार पुत्र राम सरन दास जैतो। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० दो में है, (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3754 वर्ग फुट जमीन और सिनेमा में 1/20 हिस्सा और बिल्डिंग में भी जो कि बाजा सड़क पर है जैसा कि रजिस्ट्री नं० 940 तारीख दिसम्बर, 1976 में है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 2-7-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भटिंडा,

भटिंडा, दिनांक 14 जुलाई 1977

निदेश नं० ए० पी० 18/77-78 :—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दिया गया है तथा जो घोलिया खुर्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-12-1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बचित्तर सिंह, गरदियाल सिंह, दयाल सिंह बेटा भगवान कौर विधवा पाला सिंह बेटा रतन सिंह घोलिया खुर्द ।

(अन्तरक)

(2) श्री मुखतियार सिंह, बलदेव सिंह बेटा, गुरदियाल सिंह बेटा कपूर सिंह गांव रतने काला ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रूचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

38 कनाल 4 मरले कृषि भूमि गांव घोलिया खुर्द तहसील मोगा में है जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5354 तारीख 3-12-76 में है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 14-7-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भटिंडा कार्यालय

भटिंडा, दिनांक 14 जूलाई, 77

निदेश नं० ए० पी० 20 / 77-78 :—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनूसूची में दिया गया है तथा तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फाजिलका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-11-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुरेश कुमार, प्रेम प्रकाश, विजय कूमार, पुत्र श्री रामचन्द, अबोहर तहसील फाजिलका
(अन्तरक)

(2) श्री लाल चन्द बेटा श्री दुनी चन्द बेटा धारिया राम वासी अबोहर तहसील फाजिलका ।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अबोहर में एक दुकान जैसा कि रजिस्ट्री नं० 1595 तारीख 10-1-71 और 1608 तारीख 11-1-77 में है ।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 14/7/77
मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 14 जुलाई 77

निदेश सं० ए० पी० 19/77-78 :—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दिया गया है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फाजिलका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 11-1-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री बालक चन्द पुत्र श्री नत्थू राम बुढ़लाडा तहसील मानसा

(अन्तरक)

(2) श्री चर्ण दास पुत्र श्री राम चन्द अबोहर

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो उक्त सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मंडी अबोहर में एक दुकान में 1/4 हिस्सा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 1617 तारीख 11-1-77 में है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 14-7-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 16 जुलाई 77

निदेश सं० ए० पी० - 1683/ :—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो कपूरथला रोड, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चरण सिंह पुत्र श्री देवा सिंह कपूरथला रोड जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्री सतीश कुमार तथा पवन नन्द, पुत्र श्री राम लाल बाहरी मकान नं० बी० XXX-278/54, कपूरथला रोड, जालन्धर.

(अन्तरिती)

(3) श्री राम लाल गार्डनर, मैं० बाहरी मकान (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है) (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 4330 नवम्बर 76 को का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 16/7/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III,

कलकत्ता, दिनांक 16 जुलाई 77

निर्देश सं० 392/ एकुरे-III/ 77-78/ कल०:—अतः, मुझे, किशोर सेन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 7 है, तथा जो फार्न रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अलिपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-11-1976 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. श्री बैदनाथ नाथ राय
2. श्री शिबनाथ राय
3. श्री सुतनाथ राय
4. श्री मनिमय राय
5. श्री सुधामय राय
6. श्रीमती कमलीनि राय
7. श्री श्यामल कुमार राय
8. श्री सुब्रत राय
9. श्री स्वपन कुमार राय

(अन्तरक)

(2) श्री मनोरंजन पोद्दार और श्रीमती गीता पोद्दार 18/11/बि०, फार्न रोड, कलकत्ता- 1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

करीब 2 कट्ठा 11 छटांक 30 स्को० फुट जमिन जो 7 फार्न रोड, कलकत्ता पर अब स्थित और जो डिस्ट्रिकट रजिस्ट्रार आलिपुर द्वारा रजिस्ट्रीकृत दलिल सं० 5653/1976 का अनुसार है।

किशोर सेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16

तारीख : 16-7-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 जुलाई 77

निर्देश नं० 393/ एकुरे-III/ 77-78/कल०:—अतः मुझे, किशोर सेन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11 है तथा जो डोभार लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सियालदह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-11-1976,
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) . श्री अलोक कुमार घोष
2. श्री प्रदीप कुमार घोष
3. श्री विपंकर घोष , सबका पता 1, बालीगंज पार्क, कलकत्ता 1

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लेखा राय चौधरी, 15 सि०, सरत घोष गार्डन रोड, ठाकुरिया, कलकत्ता -1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

करीब 2 कट्ठा 6 छटांक जमिन साथ स्ट्राकचरस, आउट हउसेस और गेराज जो 11 , डोभार लेन, कलकत्ता पर अब स्थित और जो दलिल सं० 946/1976, (सब रजिस्ट्रार सियालदह) का अनुसार हैं।

किशोर सेन
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, III कलकत्ता

तारीख : 18-7-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 जुलाई 1977

निर्देश सं० राज० / सहा० आयु०, अर्जन / 371—यत: मुझे, चुन्नी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 9 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1 दिसम्बर, 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सुशीला देवी विधवा डा० श्याम लाल निवासी 44, लिटन रोड, देहरादून (यू० पी०)

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री सुरेश चन्द, सुभाष चन्द, मनोज कुमार, पुत्रान श्री नानगराम एवं श्रीमती पुष्पा जैन, पत्नि श्री सोभागमल निवासी 2032, बारफवाली गली, किनारी बाजार, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 9, होस्पिटल रोड, सी० स्कीम, जयपुर जो उपपंजीयक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2371 दिनांक 1-12-1976 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

चुन्नी लाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 16-7-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 6 जुलाई 1977

निर्देश संख्या राज०/सहा० आयु० अर्जन/370 :—यत :

मुझे, चुन्नी लाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 40 कोटा है, तथा जो कोटा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोटा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-3-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती विमला बाई पत्नि विजय सिंह वैद, श्रीमति कंचन बाई पत्नि श्री रतनलाल वैद एवं श्री पन्नालाल वैद पुत्र श्री सोहन लाल वैद निवासी भीमगंज मण्डी, कोटा।

(अन्तरक)

(2) श्री कन्हैया लाल पुत्र केदार लाल राठौड़, 2. श्री बनवारी लाल पुत्र केशव लाल राठौड़, 3. श्रीमति नाथी बाई पत्नि श्री केदार लाल राठौड़ निवासी छबड़ा जिला कोटा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 40, नई धान मंडी, कोटा पर निर्मित मकान जो और अधिक विस्तृत रूप से उप पंजियक, कोटा द्वारा क्रम संख्या 238,239 एवं 237 पर दिनांक 11 मार्च, 77 को पंजिबद्ध विक्रय पत्रों में विवरणित है।

चुन्नी लाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 16-7-1977
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 जुलाई 1977

निर्देश संख्या राज० / सहा० आयुक्त अर्जन/ 369—यतः, मुझे, चुन्नी लाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० ए-33, है तथा जो तिलकनगर, जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 जन०, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

(1) श्री शान्ति लाल बाफना पुत्र श्री मुन्ना लाल बाफना निवासी डी०-22, मोती डूंगरी मार्ग, जयपुर

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री कृष्ण अवतार, सुरेन्द्र प्रताप, महेश चन्द्र एवं सुशीलकुमार पुत्रान श्री केदारनाथ भूत, निवासी ए०-33, तिलक नगर, जयपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० ए०-33, प्रभुमार्ग, तिलक नगर, जयपुर उस पर निर्माण सहित जैसा कि उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 16 दिनांक 10-1-77 को पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और अधिक विस्तृत रूप से विवरणित है।

चुन्नी लाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 7 जुलाई, 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 20 जुलाई 1977

निर्देश सं० ए०-133/डीबीआर/77-78/294:—अतः, मुझे, एगबर्ट सिंग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० दाग सं० 497 और 499 और पि० पि० सं० 191 और 291 वार्ड पुरनन्द रोड़, दिबरुगर्ह है तथा जो नई अमलापती में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिबरुगर्ह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-12-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बाबूलाल खेमानी, ए० टि० रोड़, दिबरुगर्ह ।
(अन्तरक)

2. श्री विश्वनाथ मंदिर अगरवाला, जलन नगर, दिबरुगर्ह ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमिन के माप०-बि० 8—का०—17 ले० जो कि दाग सं० 497 और 499 और पि० पि० सं० 191, 291, उसके साथ में एक आसाम टाइप मकान उसके माप 132 एस० फिट है । यह नई अमलापत्ति, दिबरुगर्ह वार्ड, पुरनन्द रोड़, दिबरुगर्ह में स्थित है ।

एगबर्ट सिंग
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 20-7-77
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 30th June 77

No. P/18-Admn.I.—The President is pleased to permit Shri B. K. Lal, a permanent Grade I Officer of the Central Secretariat Service and officiating as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission, to retire from Government service, after attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 30.6.77.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 15th July 1977

No. M-19/65-Ad.V.—Shri Puran Chand, Crime Assistant, C.B.I. is promoted as officiating Office Supdt., C.B.I., Delhi Br. with effect from 6.6.77 to 8.7.77 in the leave vacancy vice Shri M. L. Gulati proceeded on leave.

No. A-19036/4/77-Ad-V.—The Director CBI and Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby promotes Shri I. N. Krishna Pillai, Inspector of Police, C.B.I. as officiating Dy. S. P. in the C.B.I. (S.P.E) with effect from the forenoon of 1.7.77 until further orders.

P. S. NIGAM
Administrative Officer (E)
C. B. I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 15th July 1977

No. O.II-1045/76-Estt.—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint Dr. V. Dalip Murty, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F., on an *ad-hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 16th June, 1977 or till recruitment to the post is made on regular basis whichever is earlier.

No. O.II-1066/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Kapil Bhalla, as General Duty Officer, Grade-II (Dy. S. P./Coy. Commander) in the C.R.P.F. in a temporary capacity with effect from the forenoon of 7th July, 1977 until further orders.

No. O.II-1067/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Jagadesh Babu Jampala, as General Duty Officer, Grade-II (Dy. S.P./Coy. Commander) in the C.R.P.F. in a temporary capacity with effect from the forenoon of 5th July, 1977 until further orders.

The 16th July 1977

No. O.II-81/77-Estt.—The President is pleased to appoint on re-employment Lt. Col. Y. G. Mathur (Retd) as commandant in the C.R.P.F. until further orders.

Lt. Col. Mathur took over charge of the post of Commandant C.W.S., C.R.P.F., Rampur on the forenoon of 24th June 1977.

The 18th July 1977

No. O.II-10011/72-Estt.—On the expiry of 86 days' LPR with effect from 6-5-77 to 30-7-77 granted to him, Shri Shreedharan Nair Dy. S. P., GC (Pallipuram) CRPF will retire from this Force with effect from the afternoon of 30-7-77.

A. K. BANDYOPADHYAY
Asstt. Director (Adm)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE,

New Delhi, the 18th July 1977

No. E-16013(1)/5/74-Pers.—Shri P. P. Singh, IPS (Bihar-1956), D.I.G./CISF Durgapur Steel Plant, Durgapur, has been repatriated to the State cadre with effect from the afternoon of 2nd June, 1977.

No. E-38013(3)/17/76-Pers.—On transfer to Ghazipur, Shri Chandgi Ram assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit Govt. Opium & Alk. Works, Ghazipur with effect from the forenoon of 13th June 1977.

No. E-28013/1/77-Pers.—On attaining the age of superannuation Shri Hans Raj Asstt. Commandant, CISF HQrs, New Delhi relinquished the charge of the said post with effect from the afternoon of 30.6.1977.

L. S. BISHT
Inspector General/CISF

OFFICER OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 19th July 1977

No. 11/5/77-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Bhatia, Investigator in the office of the Registrar General, India, New Delhi, as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of six months with effect from the forenoon of 5th July 1977 or till a regular officer becomes available, whichever is earlier.

2. The headquarters of Shri R. K. Bhatia will be at Lucknow.

R. B. CHARI
Registrar General, India and
ex-officio Joint Secy.

New Delhi-110011, the 18th July 1977

No. P/B(23)-Ad.I.—Shri S. N. Banerjee relinquished charge of the post of Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations Uttar Pradesh, Lucknow with effect from the afternoon of 8th July 1977. His services have been replaced at the disposal of the Government of Uttar Pradesh with effect from the same date.

BADRI NATH
Deputy Registrar General, India &
ex-officio Deputy Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS

BANK NOTE PRESS

Dewas (MP), the 15th July 1977

F. No. BNP/C/23/77.—Shri N. G. Kibe, Accounts Officer in the office of the Accountant General-1, M. P. Gwalior, is appointed on deputation as Accounts Officer in the Office of the General Manager, Bank Note Press, Dewas, initially for a period from 30.6.77 to 31.1.78.

The 17th July 1977

F. No. BNP/E/8/M-8.—Shri S. K. Mathur, a permanent Inspector Control who was officiating as Deputy Control Officer on *ad-hoc* basis in the Bank Note Press, Dewas, is reverted to the post of Inspector Control with effect from the Afternoon of 10-7-77.

P. S. SHIVARAM
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, CENTRAL REVENUES,

New Delhi, the 18th July 1977

No. Admn.I/0.0.-286/5-8/77-78/822.—The Accountant General has ordered under 2nd proviso to F.R. 30(1) the proforma promotion of Sh. R. K. Sharma, a permanent Section Officers of this office, to the grade of Accounts Officer, in the time scale of Rs. 840—1200, retrospectively with effect from the forenoon of Ist April, 1977, until further orders.

M. L. SOBTI,
Sr. Dy. Accountant General (A)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 12th July 1977

No. EB-II/8-132/77-78/134.—Shri B. V. Narasinha Chary, Accounts Officer, Office of the Accountant General, A.P.I/ Hyderabad, has retired from service w.e.f. 30th June 1977 (A.N.).

The 16th July 1977

No. EB.I/8-312/77-78/142.—The Accountant General, Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Shri P. A. Muthuswamy a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 8th July 1977 AN until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors.

No. EB I/8-312/77-78/144.—The Accountant General, Andhra Pradesh-I, has been pleased to promote Shri S. H. Srinivasan, a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 8th July 1977 AN until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors.

S. R. MUKHERJEE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, EASTERN RAILWAY

Calcutta, the 19th July 1977

No. L/8/76-IM(T).—On his attaining the age of superannuation, the name of Shri M. N. Bhattacharjee, an Officiating Assistant Chief Auditor of the Office of the Chief Auditor, Eastern Railway, Calcutta is no more borne in the cadre of this office with effect from the midnight of 31st May, 1977.

S. C. MOOKERJEE
Chief Auditor,
Eastern Railway, Calcutta.

MINISTRY OF DEFENCE

D.G.O.F. HQRS. CIVIL SERVICE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-700069, the 12th July 1977

No. 30/77/G.—On attaining the age of superannuation, Shri Nalinimohan Chatterjee, Subst. & Permt. A.S.O. retired from service with effect from 30th June 1977 (A.N.).

I. B. GHOSH
Adg/Admin. I
for Director General, Ordnance Factories.

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-16, the 14th July 1977

No. 31/77/G.—On attaining the age of superannuation, Shri A. P. Bagchi, offg Dy. Manager (Subst. and Permt. Asstt. Manager) retired from service with effect from 31st July, 1976 (AN).

No. 32/77/G.—On attaining the age of superannuation, Shri R. S. Sahni offg. Dy. Manager (Subst. and permt. Asstt. Manager) retired from service with effect from 30th June, 1976 (AN).

The 18th July 1977

No. 33/77/G.—Shri K. Ramanathan, offg Assistant Manager (Subst. & permt. Foreman), voluntarily retired from service with effect from 3rd May 1977 (A/N).

M. P. R. PILLAI
Assistant Director General, Ordnance Factories.

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 15th July 1977

IMPORT & EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/155/54-Admn(G)/5105.—The President is pleased to appoint Shri O. N. Anand, Dy. Chief Controller of Imports and Exports (Non-CSS) as Joint Chief Controller of Imports and Exports (CLA), New Delhi purely on *ad hoc* and temporary basis for the period from 1st February 1977 to 31st May 1977 and as Jt. Chief Controller of Imports and Exports in this office with effect from 1st June 1977 to 30th June 1977.

No. 6/479/57-ADMN(G)/5117.—On attaining the age of superannuation Shri B. J. Handa, a permanent Section Officer of CSS relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 30th June, 1977.

A. S. GILL
Chief Controller of Imports and Exports.

New Delhi, the 18th July 1977

No. 6/941/71-Admn(G)/5173.—On voluntary retirement from Government service, Shri P. V. Solanki relinquished the charge of the post of Controller of Imports and Exports in the office of the Jt. Chief Controler of Imports and Exports, Bombay on the afternoon of the 31st May, 1977.

A. T. MUKHERJEE
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.
for Chief Controller of Imports & Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 12th July 1977

No. EST.I/2(500).—Shri K. Muthuswamy, Director (N.T) has been permitted to retire voluntarily from Government service with effect from the forenoon of the 16th May, 1977.

M. C. SUBARNA
Addl. Textile Commissioner.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 26th April 1977

No. 12/505/65-Admn.(G).—Shri N. N. Puri, relinquished charge of the post of Director (Grade II) in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi, on the afternoon of 2nd September, 1976.

2. The President is pleased to permit Shri N. N. Puri, Director (Grade II) to retire from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 1976 on his attaining the age of superannuation.

No. 12(694)/71-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri J. B. Ramamurthy as Assistant Director (Grade I) (IMT) in the Small Industry Development Organisation with effect from the forenoon of the 29th January, 1977.

2. Consequent upon the appointment as Assistant Director (Grade I) (IMT) Shri J. B. Ramamurthy assumed charge of the post of Assistant Director (Grade I) in the Small Industries Service Institute, Hyderabad with effect from the forenoon of 29th January, 1977.

No. 12(711)/72-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri A. P. Bose, as Assistant Director (Grade I) in the Small Industry Development Organisation with effect from the forenoon of 4th March, 1977.

2. Consequent upon the appointment as Assistant Director (Grade I) Shri A. P. Bose, assumed charge of the post of Assistant Director (Grade I) in the Small Industries Service Institute, Calcutta with effect from the forenoon of 4th March, 1977.

The 15th June 1977

No. 12/517/66-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri G. Ramachandran, Deputy Director (Statistics) as Director (Grade II) (PI) in the Small Industry Development Organisation on an *ad hoc* basis for a period of one year with effect from the forenoon of 31st May, 1977 or till the post is encadred in Grade II of I.S.S. whichever is earlier.

2. Consequent upon the appointment as Director (Grade II) (PI) Shri G. Ramachandran relinquished charge of the post of Deputy Director (Statistics) in the office of the Development Commissioner, Small Scale Industries with effect from the forenoon of 31st May, 1977 and assumed charge of the post of Director (Grade II) (PI) in the same office with effect from the same date and time.

No. 12/555/67-Admn.(G).—The President is pleased to permit Shri P. N. Gupta, Deputy Director to retire from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 1977, on his attaining the age of superannuation.

2. Shri P. N. Gupta, has accordingly relinquished charge of the post of Deputy Director, in the Small Industries Service Institute, Jaipur, on the afternoon of 31st March, 1977.

No. 12/578/68-Admn.(G).—The President is pleased to appoint on an *ad hoc* basis Shri A. Mukherjee as Assistant Director (Grade I) in the Small Industry Development Organisation with effect from the forenoon of the 4th April, 1977 to 30th June, 1977 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

2. Consequent upon the appointment as Assistant Director (Grade I) Shri A. Mukherjee relinquished charge of the post of Assistant Director (Grade II) in the Small Industries Service Institute, Calcutta on the forenoon of the 4th April, 1977 and assumed charge of the office of Assistant Director (Grade I) in the same Institute on the same date.

No. A-19018(279)/77-Admn.(G).—The Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi is pleased to appoint Shri N. P. Bhatnagar, Small Industry Promotion Officer (EI) to officiate as Assistant Director (Grade II) (EI) in the Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi on an *ad hoc* basis for the period from 7th May 1977 to 31st December 1977, or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier. Consequent on his promotion as Assistant Director (Grade II) (EI) Shri N. P. Bhatnagar assumed charge of the post of Assistant Director (Grade II) (EI) in the forenoon of 7th May, 1977, in the same office.

V. VENKATRAYULU
Deputy Director (Admn.).

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES)
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 12th June 1977

No. A-19012(87)/77-Estt.A.—Shri D. K. Kundu, permanent Senior Technical Assistant (Geo.) is promoted to the post of Asstt. Mining Geologist in Group 'B' post in the Indian Bureau of Mines with effect from the forenoon of 28th May 1977, until further orders.

SURESH CHAND
Head of Office.

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 11th July 1977

No. E1-5246/913-H.—In continuation of this office Notification No. E1-5147/913-H, dated 20th October, 1976, the *ad hoc* appointment of Shri R. K. Chamboli, Hindi-Officer of the Surveyor General's Office is further extended upto 30th September 1977 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

The 16th July 1977

No. C 5248/594—The undermentioned Technical Assistants, Map Reproduction (Selection Grade) are appointed to officiate as Assistant Manager, Map Reproduction (GCS Group 'B') in the Survey of India in the scale of pay Rs. 650-30-740-35-810-E.B.-35-880-40-1100-E. B.-40-1200 with effect from the date as stated against each until further orders :—

Name	With effect from	Office to which posted
1. Shri Z. Dennis . . .	13-6-77 (FN)	No. 101 (HLO) Printing Group (MP Dte.) Dehradun
2. Shri Tarapada Sinha .	9-6-77 (FN)	No. 102 (PLO) Printing Group (EC) Calcutta.
3. Shri Attar Singh .	4-6-77 (FN)	No. 103 (PZO) Printing Group (MP Dte) Dehra Dun.

No. C-5249/718-A.—Shri U. S. Srivastava, Officiating Superintendent, Surveyor General's Office who was appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post) on *ad hoc* basis, in Map Publication Directorate, Survey of India with effect from 7th March 1977 (F.N.) *vide* this office Notification No. C-5197/718-A dated the 29th March 1977, will now continue to officiate as such on *ad hoc* basis in the same Directorate *vice* Shri S. D. Kararia, Establishment and Accounts Officer proceeded on leave from 20th June 1977 (F.N.).

The 18th July 1977

No. C-5252/707.—The undermentioned Draftsmen Division I Selection Grade are appointed to officiate as Officer Surveyor (GCS Group 'B') in the Survey of India, on *ad hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 9th June 1977 :—

Name & Office to which posted

1. Shri P. C. Mitra—No. 4 D.O. (SC), Bangalore.
2. Shri K. M. Ananthanarayanan—No. 4 D.O. (SC), Bangalore.

K. L. KHOSLA
Major General
Surveyor General of India
(Appointing Authority).

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-12 the 18th July 1977

No. F. 92-131/77-Estt./17[illegible] [illegible] K. Singh, Senior Zoological Assistant, Central, [illegible] Station Zoological Survey of India, Jabalpur, is hereby [illegible] the post of Assistant Zoologist (Group B) in the [illegible] 650—1200 in the same Department at the Headquarters, Calcutta in a temporary capacity on *ad hoc* basis with effect from 25th June, 1977 (forenoon), until further orders.

DR. T. N. ANANTHAKRISHNAN
Director,
Zoological Survey of India.

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 16th July 1977

No. 4(45)/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Buddhadeb Chakrabarty as Programme Executive, All India Radio, Lucknow in a temporary capacity with effect from 30th June, 1977 and until further orders.

N. K. BHARDWAJ
Deputy Director of Administration,
for Director General.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 13th July 1977

No. 20/1(6)/75-CGHS.I(Pt.I.).—On his transfer from S.M.E. Organisation, Bombay, Dr. Suresh Prakash, Radiologist, assumed charge of the post of General Duty Officer, Grade I under Central Government Health Scheme, Delhi on 16th June 1977.

No. A-38012/1/77-CGHS.I.—Consequent on attaining the age of superannuation Dr. Harbhajan Singh, General Duty Officer Grade I working under C.G.H.S., Delhi, relinquished charge of his post on 31st May 1977 (A.N.).

No. A-38012/2/77-CGHS.I.—On the expiry of on availing one year extension of service beyond the date of compulsory retirement, Dr. B. R. Handa, relinquished charge of post of General Duty Officer, Grade I under Central Government Health Scheme, Delhi on 6th June 1977 (F.N.).

R. K. JINDAL
Deputy Director Admn. (CGHS).

New Delhi, the 11th July 1977

No. A-12026/12/77-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. K. L. Kohli to the post of Dental Surgeon under the Central Government Health Scheme for 83 days with effect from the forenoon of the 2nd May, 1977 to the 23rd July, 1977.

No. A-32014/2/77-(SJ)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Smt. S. Passi, Physiotherapist, Safdarjang Hospital, New Delhi, in the post of Senior Physiotherapist, at the same Hospital, with effect from the forenoon of 25th February, 1977, on a temporary basis, and until further orders.

The 16th July 1977

No. 26-8/75-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Sharanjit Singh to the post of Research Officer (Microbiology) at the Plague Surveillance Unit, National Institute of Communicable Diseases, Bangalore with effect from the forenoon of 31st May 1977, in a temporary capacity and until further orders.

The 18th July 1977

No. A.19019/52/77(NTI)Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Hardan Singh, Investigator in the Department of Family Welfare, New Delhi, to the post of Statistician in the National Tuberculosis Institute, Bangalore, with effect from the forenoon of the 30th May 1977, on an *ad hoc* basis, and until further orders.

S. P. JINDAL,
Dy. Director Admn.(O&M)

(DRUGS SECTION)

New Delhi, the 13th July 1977

No. A.12026/8/77-D.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee the Director General of Health Services is pleased to appoint Shri C. S. Chavan, Senior Scientific Assistant in the Office of the Assistant Drug Controller (India), Bombay as Technical Officer in the Central Drugs Standard Control Organisation, Santacruz Airport, Bombay on an *ad hoc* basis with effect from 13th June 1977 (F.N.) and until further orders.

S. S. GOTHOSKAR,
Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services

MINISTRY OF AGRICULTURAL AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION

Nagpur, the 13th June 1977

No. F.3(13)/51/75-DII.—In exercise of the powers conferred by the Ministry of Finance (Revenue Division) Customs Notification No. 48 dated the 24th May 1954 I hereby authorise Shri S. Suba Rao, Marketing Officer, to issue Certificate of Grading from the date of issue of this notification, in respect of bristles which have been graded in accordance with the Bristles Grading and Marking (Amendment) Rules, 1975 and export of which is subject to the provisions of the above mentioned notifications.

The 18th June 1977

No. F.2/8/76-DII.—For the purpose of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Ministry of Foreign Trade Ministry of Commerce, notification No. 125, 126, 127, dated 15-9-1962, No. 1131, 1132, dated 7-8-65, No. 2907, dated 5-3-7 , No. 3601-A, 3601-B, 3601-C, dated 1-10-71, No. 3102, dated 3-11-73, No. 1133, 1134, 1135, dated 7-8-1965, No. 448, dated 14-3-1964, No. 1130, dated 7-8-1965 and published in the Gazette of India, I hereby authorise the following officers to issue Certificate of Grading from the date of issue of this notification in respect of Black Pepper, Chillies, Cardamom, Ginger, Turmeric, Coriander, Fennelseed, Fenugreek Seed, Celery Seed, Cumin Seed, Onion, Garlic, Pulses, Table Potatoes and Tendu Leaves which have been graded in accordance with the provisions of the Grading and Marking Rules of the respective commodities and formulated under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) :

1. Shri K. K. Vijayan—Asst. Marketing Officer.
2. Smt. R. Lalitha—Sr. Inspector.

J. S. UPPAL,
Agricultural Marketing Adviser

Faridabad, the 13th July 1977

No. F.4-6(123)/77-A.III.—Shri S. N. Upadhyay, Sr. Inspector has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer (Group II) in the Directorate of Marketing and Inspection at Calcutta with effect from 20th June 1977 (F.N.) until further orders.

V. P. CHAWLA,
Director of Admn.
for Agricultural Marketing Adviser

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400008, the 20th July 1977

Ref. HWPs/Estt/1/C-33/3974.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Dattatraya Shriram Chine, a temporary Upper Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Assistant Accountant of Heavy Water Project (Kota), to officiate as Assistant Accounts Officer in the same project in a temporary capacity on an *ad hoc* basis, from May 2, 1977 (FN) to July 2, 1977 (AN) *vice* Shri S. R. Shidlyali, Assistant Accounts Officer, granted leave.

T. C. SATHYAKEERTHY,
Senior Administrative Officer

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam-603102, the 1st June 1977

No. A 32013/3/76/R-9497—The Project Director, Reactor Research Centre hereby appoints the following temporary officials of the Centre as Scientific Officers Grade-SB in the Scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-E. B. -35-880-40-1000-E. B.-40-1200 in the same Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of February 1, 1977 until further orders :—

1. Shri S. Krishnamurthy . Draughtsman 'C'
2. Shri K. Ravindran . Scientific Assistant 'C'
3. Shri V. Nirmal Gandhi . Scientific Assistant 'B'

K. SANKARANARAYANAN,
Senior Administrative Officer
for Project Director,
Reactor Research

DEPARTMENT OF SPACE
VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

Trivandrum-695022, the 28th June 1977

No. VSSC/EST/01-37—The Director, VSSC hereby appoints the folloing Officers in VSSC, Department of Space, as Scientist/Engineer SB in the officiating capacity with effect from the forenoon of the dates shown against each and until further orders :—

Sl. No.	NAME	Designation	Date
1	2	3	4
1.	Shri A.K. Chattopadhyaya	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
2.	Shri Alok Banerjee	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
3.	Shri Vishnu Beharilal	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
4.	Shri P. C. Thomas	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
5.	Shri T. N. Vijayagopalan Nair	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
6.	Shri P. R. Pathasarthi	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
7.	Shri Subhash Bhagwat	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
8.	Shri K. Sarasan	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
9.	Shri N. Chockalingam	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
10.	Shri Thomas Mathew	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
11.	Shri M. Sasidharan Nair	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
12.	Shri K. G. Ramachandran	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
13.	Shi R. Krishankumar	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
14.	Shri M. Y. Sathyanarayana Prasad	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
15.	Shri N. Ajith	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
16.	Shri Raikrishna Kumar	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
17.	Shri Syed Mahmood	Scientist-Engineer SB	1-1-1976
18.	Shri K. N. Balasubramanian	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
19.	Shri S. Velayudhan Nair	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
20.	Shri S. Swaminathan	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
21.	Shri Anand Mall M. Gulecha	Scientist/Engineer SB	1-1-1976
22.	Shri R. Radhakrishna Pillai	Scientist/Engineer SB	4-2-1976
23.	Shri N. Gopalakrishna	Scientist/Engineer SB	1-3-1976
24.	Shri R. Rajachandra	Scientist/Engineer SB	29-3-1976
25.	Shri S. Padmakumar	Scientist/Engineer SB	1-7-1976
26.	Shri U. P. Prakash	Scientist/Engineer SB	1-9-1976
27.	Shri K. Unnikrishnan	Scientist/Engineer SB	15-9-1976
28.	Shri Deb Kumar Choudhari	Scientist/Enginneer SB	1-1-1977

RAJAN V. GEORGE,
Admn. Officer-II (EST)
for Director

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 16th July 1977

No. E (1) 01008—The Director General of Observatories hereby appoints the undermentioned Professional Assistants, to officiate as Assistant Meteorologist as follows :—

S. No.	Name	Period From	Period To	Office to which posted
1.	Shri N. V. Parameswaran	4-6-77	31-8-77	Dy. Director General of Observatories (Climatology), Pune
2.	Shri G. S Prakasa Rao	16-6-77	19-8-77	Dy. Director (Forecasting), Pune.
3.	Shri R. V. Kelkar	16-6-77	19-8-77	—do—
4.	Shri S. K. Das	6-5-77	2-8-77	Regional Meteorological Centre, New Delhi.
5.	Shri A. K. Mehra	1-6-77	28-8-77	—do—
6.	Shri B. Sankaraiya	16-6-77	31-8-77	Regional Meteorological Centre, Nagpur.
7.	Shri K. Narasimhamurthy	18-6-77	19-8-77	Director, Agricultural Meteorology, Pune.
8.	Shri S.Venkataramani	16-6-77	19-8-77	—do—
9.	Shri A. N. Rao	16-6-77	19-8-77	Director, (Instruments), Pune.

No. E(I)05859.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri K. Jayaraman, Professional Assistant, office of the Director (Instruments), Pune, India Meteorological Department, as Assistant Meteorologist in the Indian Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) in an officiating capacity with effect from the forenoon of 9th May 1977 until further orders.

Shri Jayaraman remains posted to the office of the Director Instruments, Pune.

The 20th July 1977

No. E(I)06560.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri H. C. Mehra, Professional Assistant, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi, to officiate as Assistant Meteorologist for a period of 58 days with effect from the forenoon of 5th July 1977 to 31st August 1977.

Shri Mehra, Officiating Assistant Meteorologist, remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

M. R. N. MANIAN,
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 4th July 1977

No. A 32013/6/76-ES (i)— The President is pleased to appoint the undermentioned officers to the grade of aircraft Inspector on an *ad-hoc* basis w. e. f. the dates noted against each upto 28-2-1977 :—

S. No.	Name	Date of appointment	Stattion of posting
1.	Shri Anupam Bagchi	23-12-76	R. D. Office, Delhi.
2.	Shri R. C. Gupta	29-12-76	Inspection office Hyderabad.
3.	Shri S. Majumdar	28-12-76	R. D. office, Calcutta.
4.	Shri H. M. Phull	3-1-77	R. D. office, Calcutta.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Shri L. A. Muhalingam	30-12-1976	Inspection office, Bangalore.
6.	Shri A. K Ray . .	31-1-77 (AN)	R. D. Office, Madras.
7.	Shri S. P. Singh . .	28-12-76	R. D. Office, Bombay.
8.	Shri D. P Ghose . .	23-12-76	R. D. Office, Delhi
9.	Shri M. Mustafa . .	29-12-76	R. D. Office, Bombay.

No. A 32013/6/76/ES (ii)--The President is pleased to appoint the undermentioned officers to officiate as Senior Aircraft Inspector on an *ad hoc* basis w. e. f. the dates noted against each upto 28-2-1977 :—

S. No.	Name	Date of appointment	Station of posting
1.	Shri S. L. Srivastava .	27-1-77	Inspection Office, Patna.
2.	Shri Phillip Mathew .	31-1-77 (AN)	R. D. Office, Madras.

The 12th July 1977

No. A.12025/6/77-ES.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri H. S. Khosla to the grade of Deputy Director Airsafety (Engg.)/Regional Controller of Air safety (Engg.) and to post him as Regional Controller of Airsafety (Engineering) in the office of the Regional Director, Delhi w.e.f. the 29th April 1977 (FN).

The 13th July 1977

No. A.40012/3/76-ES.—The President is pleased to retire Shri A. K. Banerjee, Aircraft Inspector in the office of the Regional Director, Bombay under F.R. 56(j) w.e.f. the afternoon of the 2nd April 1977.

The 16th July 1977

No. A 12025/7/75-ES—On the recoommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the undermentioned officers as Aircraft Inspectors in the Civil Aviation Department in an officiating capacity with effect from the date noted against each and until further orders :—

S. No.	Name	Date of appointment	Station of posting
1.	Shri Sukhvinder Singh Nat	17-6-77	C/o the Regional Dir., Delhi.
2.	Shri Sujja Prakash Sengupta	28-6-77	C/o the Regional, Dir., Bombay.

V. V. JOHRI,
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 20th April 977

No. A 32014/1/76-EC—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following two Communication Asistants to the grade of Assistant Communication Officer on a regular basis with effect from the date indicated against each and until further orders and to post them at the station indicated against each :—

S. No.	Name	Date from which appointed	Station of posting
1.	Shri S. Arokiam . .	21-3-77 (FN)	A. C. S., Calcutta
2.	Shri A. S. Katdare .	30-3-77 (FN)	A. C. S., Lucknow

The 7th July 1977

No. A.32013/11/76-EC.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Maheshwari, Communication Officer in the office of the Regional Director, Delhi Region, Safdarjung, Airport, New Delhi to the grade of Senior Communication Officer on a regular basis with effect from the 21st June 1977 (FN) and until further orders and to post him in the office of the Director General of Civil Aviation, R. K. Puram, New Delhi.

The 15th July 1977

No. A.32013/17/76-EC.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Das, Assistant Director of Communication (Headquarters), Civil Aviation Department as Regional Controller of Communication on *ad hoc* basis with effect from the 29th June 1977 (FN) and upto the 30th April 1978 or till regular appointments are made to the grade whichever is earlier and to post him at Calcutta Airport, Dum Dum, Calcutta-52.

P. C. JAIN,
Asstt. Director (Admn.)

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 14th July 1977

No. 1/359/77-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri V. S. N. Murthy, Technical Assistant, Switching Complex, Bombay, as Assistant Engineer in an officiating capacity in the same Branch, for the period from 6th May 1977 to 10th June 1977 (both days inclusive) against a short-term vacancy.

P. K. G. NAYAR,
Dy. Director (Admn.)
for Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

Allahabad, the 4th July 1977

No. 21/1977.—Shri R. C. Malhotra, confirmed Inspector (S.G.) of Central Excise, posted on deputation to Statistics and Intelligence Branch, New Delhi and appointed to officiate as Superintendent Central Excise Group 'B' until further orders, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, *vide* Collector of Central Excise, Allahabad Establishment Order 52/1977, dated 11th March 1977 issued under endorsement C. No. II (3)93-ET/77/6838, dated 11th March 1977 and subsequently modified *vide* Collector of Central Excise, Allahabad's Establishment order No. 81/1977, dated 31st March 1977 issued *vide* C. No. II (3)93-ET/77/8182, dated 1st April 1977 took over charge of the office of the Superintendent Group 'B' in the Central Excise, Integrated Divisional Office, Lucknow in the F.N. of 30th April 1977.

K. S. DILIPSINGHJI,
Collector

Nagpur, the 13th July 1977

No. 11.—Shri S. L. Tiwari, Assistant Collector (L.R.) Central Excise Collectorate, Nagpur, lately holding the charge of Assistant Collector, Central Excise Division-II, Nagpur, has assumed the charge of the Assistant Collector, Central Excise Division, Gwalior in the forenoon of 25th April 1977.

No. 12.—Consequent upon his posting as Assistant Collector, Central Excise Division-II, Nagpur, Shri B. L. Ganjapure, has assumed the charge of Assistant Collector, Central Excise, Division-II, Nagpur in the forenoon of 28th April 1977.

No. 13.—Consequent upon his transfer, Shri H. S. Brar, lately posted as Assistant Collector, Central Excise Division, Bhopal, has assumed the charge of Assistant Collector, Central Excise Division, Gwalior in the afternoon of 6th May 1977.

No. 14.—Consequent upon his transfer, Shri S. L. Tiwari, lately posted as Assistant Collector (L.R.), Hqrs. Office, Nagpur, has assumed the charge of Assistant Collector, Central Excise Division, Bhopal in the forenoon of 9th May 1977.

No. 15.—Consequent upon his posting, Shri N. S. Dixit, lately posted as Assistant Collector (Audit), Central Excise Hqrs. Office, Nagpur has assumed the charge of Assistant Collector (L.R.) Central Excise, Hqrs. Office, Nagpur in the afternoon of 31st May 1977.

M. S. BINDRA,
Collector

Madras-1, the 11th July 1977

CUSTOMS/ESTABLISHMENT

No. 9/77.—S/Shri A. Srinivasa Iyengar, R. Krishnamachari, T. L. Krishnamurthy, K. V. Varadhan and J. A. Tangiah, and T. M. Sonadri, Senior Grade Preventive Officers, Madras Custom House are promoted to officiate as Superintendents of Customs (Preventive) in the Madras Custom House with effect from 2nd May 1977 afternoon and 1st July 1977 forenoon respectively and until further orders.

The 16th July 1977

No. 10/77.—S/Shri P. Balasundaram, Examiner (OG), and T. Govindaswamy, Deputy Office Superintendent Madras Custom House, promoted to officiate as Appraisers—*vide* Madras Custom House order Nos. 113/77, dated 2nd May 1977 and 127/77, dated 7th May 1977 assumed charge as Appraisers on the afternoon of 2nd May 1977 and 7th May 1977 respectively at Madras Custom House.

No. 11/77.—S/Shri C. S. Srinivasan, O. P. Phalgunan and S. Lakshmanan, Examiners (SG), Madras Customs House, promoted to officiate as Appraisers—*vide* Madras Custom House order No. 128/77, dated 7th May 1977, 137/77, dated 16th May 1977 and 143/77, dated 24th May 1977 assumed charge as Appraisers on the afternoon of 7th May 1977, 16th May 1977 and 25th May 1977 forenoon respectively at Madras Custom House.

The 19th July 1977

No. 8/77.—Shri D. Balasubramaniam is appointed as Direct Recruit Appraiser (Expert) in this Custom House with effect from 29th April 1977 forenoon in a temporary capacity and until further orders.

M. G. VAIDYA,
Collector of Customs

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 18th July 1977

No. 19012/546/75-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission, is pleased to accept the resignation of Shri Nathi Singh, Assistant Research Officer, (Scientific-Physics), Central Water Commission with effect from the afternoon of 29th June 1977.

MEHNGA RAM,
Under Secy.
for Chairman, C.W. Commission

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

GENERAL MANAGER'S OFFICE

(PERSONNEL BRANCH)

Pandu, the 8th July 1977

No. E/55/III/95 Pt. II(0).—Shri R. K. Awasthi a Junior Scale Officer of the Stores Department now Offg. in the JA Grade is confirmed in the Senior Scale with effect from 18th March 1976.

Calcutta, the 11th July, 1977

No. E/55/91/Pt. III (O)—The following officers are confirmed in Class II service as Assistant Operating Supdt./Assistant Commercial Superintendent with effect from the date noted against each :—

Sr. No.	Name of the Officer	Date of from which confirmed
1.	Shri J. M. Chowdhury	4-11-70
2.	Shri S. N. Ganguly	13-12-71
3.	Shri S. C. Dey	29- 1-76
4.	Shri R. P. Sengupta	1- 6-76

G. H. KESWANI,
General Manager

Calcutta, the 16th July 1977

No. AC 190/Admn.—Shri S. K. Banerjee is confirmed in class II service as a special case w.e.f. 2nd May 1977 against the Junior scale post of Asstt. Deputy General Manager allotted to the cadre of Civil Engineering Department, Authority Board's letter No. 77E(GC)1-8, dated 2nd May 1977.

V. C. A. PADMANABHAN,
General Manager

NORTHERN RAILWAY HEADQUARTERS OFFICE

New Delhi, the 1977

No. 9.—The following officers of Mechanical Engineer Departments, have finally retired from Rly. Service from the dates noted against each.

1. Shri Anoop Singh, AWM/ASR—30-4-77 A.N.
2. Shri Bhagat Singh, AME/ID/Hd. Qrs. 30-6-77 A.N.
3. Shri H. L. Chaudhari, DME/MB. 30-6-77 A.N.
4. Shri S. L. Srivastava, WM/CB-LKO, 30-6-77 A.N.

J. N. KOHLI,
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

(COMPANY LAW BOARD)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

NOTICE UNDER SECTION 445 (2)

In the matter of the Companies Act, 1956 M/S Shital Beverages Pvt., Ltd.

Ahmedabad-380009, the 12th July 1977

No. 1651/Liquidation.—By an order dated 7th March 1977 of the High Court of Gujarat at Ahmedabad in Company Petition No. 66/1976, it has been ordered to wind up M/S Shital Beverages Pvt. Ltd.

J. G. GATHA,
Registrar of Companies, Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Punjabi, Himachal Pradesh and Kashmir Pipe Dealers Private Limited.

Jullundur, the 15th July 1977

No. G/Stat/560/2376.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Punjab Himachal Pradesh and Kashmir Pipe dealers Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of General Finance Private Limited

Jullundur, the 15th July 1977

No. G/Stat/560/2228/4328.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of General Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. P. TAYAL,
Registrar of Companies,
Punjab, H.P. & Chandigarh

NOTICE UNDER SECTION 445(2) OF THE COMPANIES ACT, 1956

In the matter of M/s Northern India Land and Finance Private Limited

Delhi, the 14th July 1977

No. Co. Liqn/2983/1273.—By an order dated the 1st December 1975 of the Hon'ble High Court of Delhi M/s Northern India Land and Finance Private Limited has been ordered to be wound up.

R. K. ARORA,
Asstt. Registrar of Companies,
Delhi and Haryana

Madras-600006, the 15th July 1977

No. 3984/Liqn./CLA/S.560/TA/77.—Whereas Dinaseithi Limited, (In Liquidation) having its registered office at 101, Purasawalkam High Road, Madras is being wound up;

AND WHEREAS the undersigned has reasonable cause to believe *that no Liquidator is acting* the affairs of the company have been completely wound up and that the statement of accounts required to be made by the Liquidator have not been made for a period of six consequitive months;

NOW THEREFORE, in pursuance of the provisions of sub section (4) of Section 560 *of The Companies Act* 1956 notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of Dinaseithi Limited, (In Liquidation) will unless cause is shown to the contrary be struck off the register and the company will be dissolved.

C. ACHUTHAN,
Asstt. Registrar of Companies,
Tamil Nadu, Madras

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ORDER

Allahabad, the 4th May 1977

Income-tax Act, 1961—Section 123(1)&(2) Jurisdiction of IACs of Income-tax in C.I.T. Allahabad Charge—

C. No. 284/Tech/CIT-Jurs/77-78.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 123 of the I.T. Act, 1961 and in supersession of all previous orders on the subject, I the Commissioner of Income-tax, Allahabad hereby direct that w.e.f. 9th May 1977 Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax posted to the ranges, specified in column 2 of the schedule annexed hereto, shall perform their functions in respect of all persons and classes of persons and of all incomes and classes of income in the area comprised in the Incometax Circles specified in the corresponding entries in column 3 of the said schedule.

The 26th May 1977

Jurisdiction section 124(1)&(2) of Income-tax Act, 1961—Income-tax Circle-Creation of

F. No. 81(c)GL/GZP/Tech/77-78.—A new Income-tax circle to be known as "Income-tax Officer Ghazipur" is hereby created with effect from 1st June 1977.

SCHEDULE:

Sl. No	I. A. C. Range	Number of Circle or sub-charge included in the Range
1.	Allahabad . . .	1. Allahabad. 2. Sultanpur. 3. Faizabad. 4. Fatehpur
2.	Gorakhpur . . .	1. Gorakhpur. 2. Basti 3. Gonda 4. Bahraich 5. Azamgarh 6. Ballia 7. Daoria.
3.	Varanasi . . .	1. Varanasi 2. Mirzapur 3. Jaunpur.

SHEIKH ABDULLAH
Commissioner of Income tax,
Allahabad

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SHILLONG

Shillong, the 19th July 1977

Ref. No. A-133/DBR/77-78/294.—Whereas I, EGBERT SINGH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
Dag No. 497 and 499 and P.P. No. 191 & 291
situated at New Amolapatty word on Purnanda Road, Dibrugarh
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer
at Dibrugarh on 10-12-1977
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Babulal Khemani
A.T. Road, Dibrugarh.

(Transferor)

(2) Shri Biswanath Modi (Agarwala),
Jalannagar, Dibrugarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring OB-4K-17L covered by Dag No. 497 and 499 and P.P. No. 191, 291 along with an Assam Type building measure 132 Sq. m situated at New Amolapatty, Word on Purnananda Road, Dibrugarh, Assam.

EGBERT SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong

Date : 19-7-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

KANPUR

Kanpur, the 15th July 1977

cf. No. 610/Acq/Meerut/76-77/2115.—Whereas I,
R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
(hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Meerut on 1-11-1976
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Urvesh Lughiani, Wife of Musaddi Lal Lughiani,
Resident of 18, Mission Compound,
Meerut.
(Transferor)

(2) Shri Jog Dhian Sahni, Son of Shri Devi Ditta Mal,
Resident of 114, Thapar Nagar,
Meerut City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of house property bearing No. 114, Thapar Nagar, Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 68,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-7-1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 15th July 1977

Ref. No. 84-A/Acq/Agra/77-78/2118.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule, situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Agra on 9-12-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sarla Devi, W/o Raghubir Pd. Agarwal, R/o 3/21-A, Civil Lines, Agra.

(Transferor)

(2) S/Shri Smt. Lajjawati, W/o Arjun Lal, Smt. Geeta Devi W/o Shri Bishan, Smt. Sushma W/o Shri Bhagwan, and Om Prakash S/o Arjun Lal, R/o Nala Bhairon, Belanganj, Agra.

(Transferee)

Objections ,if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Kothi No. 3/21-A, Plot No. 12, Nagar Mahapalika, Agra, situated at Civil Lines, Agra transferred for an apparent consideration of Rs. 48,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-7-1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

KANPUR

Kanpur, the 15th July 1977

Ref. No. 93-A/Acq/Nakur/77-78/2119.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule, situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nakur on 13-12-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Gurdeep Singh S/o Hazara Singh and Malagar Singh S/o Santa Singh,
Resident of Vill. Sakrullapur, P.O. Sarsawa,
Parg. Sultanpur, Teh. Nakur,
Distt. Saharanpur.

(Transferee)

(2) S/Shri Kaher Singh S/o Arjun Singh,
Sukkha Singh S/o Preetam Singh, and
Man Singh S/o Hajoor Singh,
Resident of Vill. Sakrullapur, Parg. Sultanpur,
Teh. Nakur, Distt. Saharanpur.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Agricultural land, situated at Vill. Sakrullapur, Parg. Sultanpur, Teh. Nakur, Distt. Saharanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 45,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 16th July 1977

Ref. No. 50/Acq/Meerut/77-78/2116.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule
situated at per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Meerut on 6-1-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Bhawani Prasad S/o Gauri Sahai,
R/o Patel Nagar, Thapar Nagar, Gali No. 7,
Meerut
Present No. Hajari Ki Pyau, 299 Clement Street,
Meerut and
Shri Madan Mohan S/o Lala Gomati Pd. Gupta,
236, Patel Nagar, Thapar Nagar, Meerut.
(Transferor)

(2) S/Shri Sarup Lal S/o Bhagwan Das,
R/o Beerukuwan, Meerut, and
Sarwan Kumar S/o Shri Badri Nath,
295, Thapar Nagar, Meerut City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of house property with land situated at Street No. 7, Thapar Nagar, Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 90,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 16-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 19th July 1977

Ref No 91 A/Acq/Dehradun/77 78/2117 —Whereas I, R P BHARGAVA,
being the Competent authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25 000/ and bearing No
As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 14-12-1976
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jawandamal Bhusry S/o Shri Mohan Lal Bhusry, 16, Circular Road, Dehradun

(Transferor)

(2) Shri Subhash Chandra S/o Vishan Das, 12, Dispensary Road, Dehradun

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Part of Property No 16, Circular Road, Dehradun, transferred for an apparent consideration of Rs 32,000/-.

R P BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date 19-7 1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 19th July 1977

Ref No 89-A/Acq/Dehradun/77-78/2128.—Whereas I, R P BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25 000/- and bearing
As per schedule, situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dehradun on 14-12-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) Jawandamal Bhusiy S/o Mohan Lal Bhusiy, 16, Circular Road, Dehradun

(Transferor)

(2) Shri Vishan Dass S/o Tulsi Das, 12, Dispensary Road, Dehradun

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Part of Property No 16, Circular Road, Dehradun, transferred for an apparent consideration of Rs. 17,000/-

R P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 19 7 1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 20th July 1977

Ref. No. Acq/1/Kannauj/77-78/2126.—Whereas I, R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule, situated As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kannauj on 19-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Baburam S/o Nekram,
Resident of Vill. Behra, Pargana Tirwa,
Teh. Kannauj, P.O. Thathiya,
Distt. Farrukhabad.
(Transferor)

(2) S/Shri Ram Singh, Shiv Singh, Nepal Singh (Majors)
and Vinod Singh (Minor) Sons of Ram Krishan,
and Smt. Savitri W/o Babu Ram,
R/o Behra, P.O. Thathiya,
Distt. Farrukhabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land comprised in Khata No. 130 measuring 4.19 acres situated at Vill. Behra, Parg. Tirwa, Teh. Kannauj, Distt. Farrukhabad, transferred for an apparent consideration of Rs. 32,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 20-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 12th July 1977

Ref. No. 11/NOV/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, 66, Ward I, Block 19,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Big Street, Thiruvannamalai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Thiruvannamalai (Doc. No. 1370/76) on 4th November, 1976,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. Doraisamy Reddiar,
No. 66, Big Street, Thiruvannamalai.

(Transferor)

(2) Shri A. Cheganmul Sowcar,
No. 66, Big Street,
Thiruvannamalai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First and second floors of the property situated at No. 66 (T.S. No. 1167/1, Ward I, Block No. 19), Big Street, Thiruvannamalai.

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 12-7-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-6

Madras-6, the 12th July 1977

Ref. No. 12/NOV/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Block No. 19, Ward I, situated at Thiruvannamalai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Thiruvannamalai (Doc. No. 137/76) on 4th Noovember 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. Doraisamy Reddiar,
S/o Balakrishna Reddiar,
No. 66, Big Street, Thiruvannamalai.
(Transferor)

(2) Smt. C. Manghibai,
W/o Cheganmul Sowcar,
No. 33, Sannadhi Street,
Thiruvannamalai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3,110 sq. ft. with building thereon at Block No. 19, I Ward, Thiruvannamalai. (T.S. No. 1167/1).

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 12-7-1977
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-6

Madras-6, the 18th July 1977

Ref. No. 28/NOV/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
97, situated at Nyniappa Naicken Street, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Madras (Doc. No. 4393/76) on November, 1976
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under Sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri K. M. S. R. Kuppusamy Iyer Dharmam Trust, No. 87, South Masi Street, Madurai.

(Transferor)

(2) Shri C. Indarchand Metha,
No. 97, Nynaippa Naicken Street,
Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1,790 sq. ft. with building thereon at door No. 97 (New Survey No. 9164), Nyniappa Naicken Street, Madras-1.

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 18-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 18th July 1977

Ref. No. 41/NOV/76-77.—Whereas, I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 22/2&3, 77B2 & 77B 1B, situated at Abdullapuram Village, near Doosi Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Doosi (Doc. No. 1430/76) on November, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. S. Venkatachari & S. Vedantham, Doosi village.

(Transferor)

(2) Shri K. Ramaswami Naicker, Pallavaram, Nathakollai, Doosi P.O.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 acre and 30 cents in survey Nos. 22/2 (0.35 acres), 22/3 (0.05 acres), 77B2 (0.29 acres) and 77B 1B (0.61 acres) (with one 15 HP motor, one 3 HP motor and one well) at Abdullapuram village (near Doosi village) on Kancheepuram-Cheyyar Bus route.

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 18-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-6

Madras-6, the 18th July 1977

Ref. No. 42/NOV/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
II Ward, Salai Street, situated at Vedasandhur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Vedasandur (Doc. No. 984/76) on November, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Mohamed Ismail,
S/o Shri Sahul Hameed,
Vedasandur.

(Transferor)

(2) M/s. A. Abdul Kader &
A. Abdul Sathar,
Sons of K. Abdul Salam,
Salai Street, Vedasandur,
Dindigul taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6,774 sft. with building thereon at door No. 29 Salai Street, Vedasandur, Madurai district.

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 18-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(I) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-6

Madras-6, the 19th July 1977

Ref. No. F. 4112/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No R.S. Nos. 4172, 4173 & 4174, situated at Ootacamund ('St. Clouds', Ooty)
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Ootacamund (Doc. No. 1296/76) on 26-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri D. Kumar Siddanna
19/1 Grant Road,
Bangalore (Karnataka).

(Transferor)

(2) 1. Shri B. Marideswara Rao,
2. Smt. M. Dhanamani, and
3. Smt R. Chandramani
Partners of M/s. B. Marideswara Rao & Co.
1141/1 Rashtrapathi Road,
Secunderabad-500 003.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 0-71 2/8 acres (with building) and bearing Door Nos. 72 and 72-A, Ootacamund.
('St. Clouds', Ootacamund)
(R. S. No. 4172; 4173; and 4174).

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 19th July 1977

Ref. No. F. No. 4116/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 27/10, situated at East Venkatasami Road, R. S. Puram, Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR III Coimbatore (Doc. No. 2811/76) on November 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the aparent consideration therefor by more than fifteen per cent to such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;—

(1) Smt. C. V. Savithri Ammal
Sakunthala
Gowri Pattabiraman
Chandra Viswanath (Power Agent : C. V. Savithri Ammal) D. No. 27/10 East Thiruvenkataswami Road, R.S. Puram, Coimbatore.
(Transferor)

(2) Smt. Mariammal
W/o Shri Ramaswami Chettiar
Palani ammal
D/o Marimuthu Chettiar
Kollupalayam, Thippampatti
Pollachi Taluk.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 3327 Sq. ft. (with building) and bearing Door No. 27/10 East Thiruvenkataswamy Road, R. S. Puram, Coimbatore (Doc. No. 2811/76).

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-7-1977
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 19th July 1977

Ref. No. F. 4116/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 27/10, situated at East Thiruvenkataswami Road, R. S. Puram, Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
JSR III, Coimbatore (Doc. No. 2812/76 in November 1976 for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the conccalment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt C. V. Savithri Ammal
Sakunthala
Gowri Pattabiraman
Chandra Viswanath (Power Agent : C. V Savithri Ammal)
D. No. 27/10 East Thiruvenkataswami Road,
R. S. Puram, Coimbatore

(Transferor)

(2) Shri K. M. Ramasami Chettiar
S/o Shri Marimuthu Chettiar,
No. 82 N.H. Road, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 3337 Sq. ft. (with building) and bearing D. No. 27/10 East Thiruvenkataswami Road, Coimbatore (New R.S. No. 1111/Part) (Doc. No. 2812/76).

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-7-1977

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 19th July 1977

Ref. No. 4118/76-77.—Whereas I. S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3/41 Bazar St., situated at Bhavani
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhavani (Doc. No. 1758) on 18-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Rasu
S/o Shri Chellappa Gounder
Perumapalayam
Elavamalai village
Erode Taluk.

(Transferor)

(2) Shri K. S. Arumugam
S/o late Shri Chenniappa Gounder
D. No. 3/41 Bazaar St.
Bhavani.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & building bearing Door No. 3/41 Bazaar Street, Bhavani (Doc. No. 1758/76).

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-7-1977
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 19th July 1977

Ref. No. F. 4118/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3/41, situated at Bazaar Street, Bhavani
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhavani (Doc. No. 1759/76) in November 1976
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri P. S. Muniyappa Gounder
S/o Shri Chellappa Gounder

(ii) Minor Venukatachalam
Perumapalayam
Elavamalai village
Erode Taluk.

(Transferor)

(2) Smt. A. Anjali Devi
W/o Shri K. S. Arumugam
Door No. 3/41 Bazaar St.
Bhavani.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Door No. 3/41 Bazaar Street, Bhavani (Doc. No. 1759/76).

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-7-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 19th July 1977

Ref. No. F. 4125/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 60, Gandhiji Road, situated at Erode. (and more fully described in the Schedul annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at JSR I Erode (Doc. No. 3521/76) on 18-11-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely : –

(1) 1. Shri D. Srinivasan
S/o late Shri A. R. Duraiswami Iyer
No. 1479 Lakshmibai Nagar,
New Delhi-23.
2. Shri Duraiswami;
4. S. Sankaran (Minor) } Represented by father & guardian Shri D. Srinivasan.
3. S. Ganesh (Minor) }

(Transferor)

(2) Shri E. R. Rengaswami
S/o Shri Ramasami Gounder
No. 160 Brough Road, Erode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & building bearing D. No. 60 (T.S. No. 609) Gandhiji Road, Erode (Building on the Southern side).

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 19-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 19th July 1977

Ref. No. F. No. 4125/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 60, Gandhiji Road, situate at Erode (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR I, Erode (Doc. No. 3520/76) on 18-11-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :- -

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri D. Sivakumar
S/o late Shri A. R. Duraisami Iyer
No. 58 Park Road, Erode Town.

(Transferor)

(2) Shri E. R. Rengaswami
S/o Shri Ramasami Gounder
No. 160 Brough Road,
Erode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & building bearing D. No. 60 (T. S. No. 609) Gandhiji Road, Erode (Building on the Northern side).

S. RAJARATNAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 19th July 1977

Ref. No. F. 5364/76-77.—Whereas I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
15, Jagadambal Colony, situated at Royapettah, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mylapore, Madras (Doc. No. 1141/76) on November 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kota Butchi Lakshmamma,
W/o late Kota Venkateswaralu,
No. 15, Jagadambal Colony,
Royapettah, Madras.

(Transferor)

(2) Smt. M. Kalyanasundari
W/o Shri V. D. Muthu
No. 133 Dr. Natesan Road,
Triplicane, Madras-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1 ground & 1329 Sq. ft. (with building) and bearing Door No. 15 Jagadambal Colony, Royapettah, Madras. (Now R.S. No. 1096/21; C.C. No. 281).

S. RAJARATNAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 13th July 1977

Ref. No. Acq/File No. 401.—Whereas, I N. K. NAGARAJAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27-23-152 situated at Governorpet, Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed herto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Vijayawada on 10-11-76 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideartion therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Puranam Venkata Subrahmanyasetharam, M/G Mother Smt. P. Meenakshi Puranam Street, Godugupeta, Machilipatnam.

(Transferor)

(2) Shri Nori Srinivasa Phanindra, M/g Father Dr. N. Venkateswara Sastry Kothapeta, Vijayawada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Guzette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 2897/76 registered before the sub-registrar, Vijayawada during the fortnight ended on 15-11-1976.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 13-7-1977

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 13th July 1977

Ref. No. Acq. File No. 402.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 27-4-2 situated at Governorpeta Vijayawada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 17-11-1976
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gajavalli Venkateswarlu, S/o Guravayya, Canal Road, Vijayawada.

(Transferor)

(2) Sri Gopu Raghavarao S/o Subbarao, C/o Sudha Mafatlal Show room Main Bazar, Vijayawada-1.

(Transferee)

(3) (1) The Branch Manager, India Tyre and Rubber Co., (P) Ltd., Vijayawada.

(2) Konkaria Metal Industries, Vijayawada,

(3) Sri K. Ramarao, Vijayawada.

(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 2969/76 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada during the fortnight ended on 30-11-1976.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 13-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 13th July 1977

Ref. No. Acq. File No. 403.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 27-4-2 situated at Governorpeta, Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijayawada on 7-12-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Gajavalli Ratnalu, W/o Venkateswarlu Canal Road, Vijayawada.

(Transferor)

(2) Gopu Subash Babu, S/o Subbarao Sudha Mafatlal Show Room, Main Bazar, Vijayawada.

(Transferee)

(3) (1) India Tyre & Rubber Co., India (P) Ltd., Vijayawada.
(2) N. Dhanjayarao, Vijayawada.
(3) Sri K. Ramarao, Vijayawada.
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3204/76 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada during the fortnight ended 15-12-1976.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 13-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 14th July 1977

Ref. No. Acq. File No. 404.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 26-34-221 and 8-31-60 situated at A. T. Agraharam Guntur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on 8-11-1976
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ventrapragada Mohanrao S/o Chalapati Rao, A. T. Agraharam Guntur.
(Transferor)

(2) Shri Adapa Sitaramaiah, Door No. 26-34-221, S/o Narasaiah, A. T. Agraharam Guntur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 5111/76 registered before the Sub-Registrar, Guntur during the fortnight ended on 15-11-1976

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 14 7 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 15th July 1977

Ref. No. Acq. File No. 405.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 8-212 situated at Ramadaspeta Rajahmundry
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Rajahmundry on 16-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pacpro Industries by its partners.
  (1) Vudimudi Drupadaraju, Rajahmundry.
  (2) M. Ramarao, Rajahmundry.
  (3) Smt. Bommareddy Laxmikoteswari, Rajahmundry.
  (4) Smt. G. Puspalatha, Vijayawada.
  (5) Smt. I. Rajyalaxmi, Rajahmundry.
(Transferors)

(2) M/s. Laxmi Laminates by its partners.
  (1) Yadavalli Ramachnedrarao, S/o Veerraju, Markondapadu, Kovvur Tq.,
  (2) Cherukuri Veerraju, S/o Subbarao Konthamuru.
  (3) Meka Venkata Krishna Bhaskararao, S/o Venkatarayudu, Andaluru, Bhimavaram Taluk.
  (4) Karuturi Apparao, S/o Venkataratnam, Chagallu.
  (5) Chundru Lalitha Kumari W/o Krishnamurty, Repaka.
  (6) Karuturi Lakshmanarao S/o Somanna, Ankampalem.
  (7) Ganta Mangayamma W/o Abbulu, Konthamuru.
  (8) Dandamudi Veerraju S/o China Venkanna, Konthamuru.
  (9) Duddupudi Sitharatnam W/o Nageswararao, Rajahmundry.
  (10) Yadavilli Varalakshmi W/o Ramachandrarao, Markondapadu.
  (11) Monavarthi Annapurna W/o Suryanarayana, Achanta.
  (12) Karuturi Sathyavathi W/o Apparao, Chagallu.
  (13) Akkena Koteswararao S/o Subbarao, Raghudevapuram.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule of property as per registered document No. 3892/76 registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry during the fortnight ended on 30-11-1976.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 15-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 15th July 1977

Ref. No. Acq. File No. 406.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 13-15-34 situated at Kotilingalapeta Rajahmundry (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Rajahmundry on 2-11-1976,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri K. Ratnakumar S/o K. V. Narayana Laxmivarapupeta, Rajahmundry.

(Transferor)

(2) M/s. Karri Appareddi & Co., represented by its partners.

(1) Karri Appareddi.

(2) Tadi Venkata Reddi.

(3) Sathi Surya Prabhakarareddi.
Kotilingalpeta, Rajahmundry

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3732/76 registered before the Sub-Registrar, Rajahmundry during the fortnight ended on 15-11-1976.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 15-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 15th July 1977

Ref. No. Acq. File No. 407.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4-9-64 situated at Bapatla
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bapatla on 4-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Jammalamadaka Venkateswara Sarma, Vallabaipatelnagar, Bapatla.

(Transferor)

(2) (1) Rallabandi Venkata Laxmi W/o Venkatappayya.

(2) R. Sreenivasa Sarma.

(3) R. Subrahmanya Sarma M/G mother (Smt. Venkata Laxmi, Nazarupeta, Tenali.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 2335/76 registered before the Sub-Registrar, Bapatla during the fortnight ended on 15-11-76.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 15-7-1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
SMT. KGMP AYURVED HOSPITAL BLDG. 5TH FLOOR,
NETAJI SUBASH ROAD, BOMBAY-400 002

Bombay-400 002, the 16th July 1977

Ref. No. A.R.II/2406-9/Nov.76.—Whereas, I, V. S. MAHAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Plot No. 44 of Danda Scheme situated at Danda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Bombay on 29-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to the disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Rajesh Construction Co.

(Transferor)

(2) Bandra Hormuzd Cooperative Housing Society Limited.

(Transferee)

(3) (1) Mr. Shaikh Mohammed Y. Omar.
(2) Mrs. S. S. Kulkarni.
(3) Mrs. D. J. Saldana.
(4) Mrs. Fernandes.
(5) Mrs. E. Dsouza.
(6) Mr. R. G. Chabria.
(7) Mrs. Purnima B. Desai.
(8) Mr. B. Dorabji Katgara.
(9) Mr. P. L. R. Shenoy.
(10) Mr. M. M. Parekh.
(11) Mr. Thomas Kurien.
(12) Mr. Thomas Kurien.
(13) Mrs. Meera S. Deshpande.
(14) Mrs. Meera S. Deshpande.
(15) Mr. N. A. Noronha.
(16) Mr. Aspi A. Jokhi
(17) Mrs. J. P. Ferreira.
(18) Mr. P. M. Vankadia.
(19) Mrs. Monica D. Mohindru.
(Persons in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in Registered Deed No. 486/76, registered on 29-11-1976 with the Sub-Registrar of Bombay.

V. S. MAHAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 16-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

SMT. KGMP AYURVED HOSPITAL BLDG. 5TH FLOOR, NETAJI SUBASH ROAD, BOMBAY-400 002

Bombay-400 002, the 20th July 1977

Ref. No. A.R.II/2399-2/Nov.76.—Whereas, I, V. S. MAHAJAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C.S. No. 3/842 and Final Plot No. 378 of Town Planning Scheme (Bombay City) No. III Mahim situated at Mahim Division
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 16-11-1976
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) M/s. Shanti Bhagwandas & Others. (Transferor)

(2) Sadhana Nivas Cooperative Housing Society Limited. (Transferee)

(3) (1) Mrs. M. A. Gaitonde
(2) Shri R. M. Shetye
(3) Shri A. G. Wagh
(4) Smt. S. A. Tejwani
(5) Mrs. Bhijibai Dwarkadas
(6) Mrs. S. M. Bhatte
(7) Mr. A. Albuquerque
(8) Mrs. J. A. Jawekar
(9) Mr. S. K. Santhoor
(10) Mrs. P. V. Desai
(11) Mrs. N. V. Rangnekar
(12) Mrs. S. K. Dhinga
(13) Indian Overseas Bank
(14) Mr. Jaisingh Tarasingh
(15) Mrs. Juneja
(16) M/s. Rylands Paper Box Co.
(Persons in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in Registered Deed No. 1097/63 registered on 16-11-1976 with the Sub-Registrar at Bombay.

V. S. MAHAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range II, Bombay

Date 20-7-1977
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

SMT. KGMP AYURVED HOSPITAL BLDG. 5TH FLOOR, NETAJI SUBASH ROAD, BOMBAY-400 002

Bombay-400 002, the 20th July 1977

Ref. No. A.R.II/2483-10/Nov.76.—Whereas, I, V. S. MAHAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. N.A. No. 53B, City Survey Nos. C/780, C/781, C/782 and C/783 in Danda Division and portion of land bearing Survey No. 216 Hissa No. 1(A) situated at Kantwadi Danda (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 17-11-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesadi property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) L. A. Stronach & Co. (India) Pvt. Ltd.
(Transferor)

(2) Shri Rajendrakumar Tulli.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in registered deed No. 1028/76 registered on 17-11-1976 with the Sub-Registrar of Bombay.

V. S. MAHAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date 20-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 22nd July 1977

Ref. No. CHD/63/76-77.—Whereas, I, R. K. PATHANIA, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 2170, Sector 15-C, situated at Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Chandigarh in November 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Joginder Singh S/o Narain Singh, c/o Shri Bhola Singh r/o H. No. 622 Sector 11-B, Chandigarh (2) Shri Harbans Singh Josan s/o Shri Dayal Singh.

(Transferor)

(2) Smt. Ranjit Kaur W/o Shri Harbans Singh Josan R/o village and Post Office, Burajar Sidhwan Via. Malaut Distt. Faridkot (Panjab).

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential plot No. 2170 (old No. 5-K) situated in Sector 15-C, Chandigarh.

(Property as mentioned in Registered deed No. 641 of November, 1976 of Registering Authority, Chandigarh).

R. K. PATHANIA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 22-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 22nd July 1977

Ref. No. CHD/64/76-77.—Whereas, I, R. K. PATHANIA, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House No. 161 Sector 18-A, situated at Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of (1908) in the office of the Registering officer
at Chandigarh in November, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kidar Nath Malhotra S/o Shri Gobind Sahai R/o Shalamar Road, Jammu (J&K).
(Transferors)

(2) Shri Kundan Lal Grover, Karta of HUF known as Kundan Lal Malhotra & Sons comprising of himself, Avinash Grover and Ajay Grover as coparceners.
(Transferee)

(3) M/S. K. L. Grover and Co.,
R/o House No. 161, Sector 18-A, Chandigarh.

(Persons in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 161 situated in Sector 18-A, Chandigarh.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 646 of November, 1976 of Registering Authority, Chandigarh.

R. K. PATHANIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 22-7-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 22nd July 1977

Ref. No. CHD/67/76-77.—Whereas, I, R. K. PATHANIA, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House No. 3169, Sector 21-D, situated at Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the
Office of the Registering Officer
at Chandigarh in December, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Sarvjit Singh S/o Shri Inder Singh through his General Attorney Sqn. Ldr. Gurdial Singh S/o Shri S. Inder Singh, R/o H. No. 3169, Sector 21-D, Chandigarh.

(2) Smt. Jasmair Kaur W/o Late S. Thakar Singh R/o H. No. 3169, Sector 21-D, Chandigarh.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in House No. 3169, built on Plot measuring 500.5 sq. yds. in Sector 21-D, Chandigarh.
(Property as shown in the Registered Deed No. 659 of December, 1976 of the Registering Authority, Chandigarh.

R. K. PATHANIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 22-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 22nd July 1977

Ref. No. HGR/(DLI/17/76-77.—Whereas, I, R. K. PATHANIA, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Industrial Estate No. II, Village Palla, situated at Village Palla, Teh. Ballabgarh, (Gurgaon)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
Plot No. 34 situated in Industrial Colony known as D.L.F. at Delhi in November, 1976
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) S/Shri (i) Ram Sarup
(ii) Nand Kishore
(iii) Ayodhya Parshad S/o Amar Nath,
R/o 37-E, Kamla Nagar Subzi Mandi, Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. K. S. F. Products, A-I/21, Sufdarjang Development Area New Delhi.
through its partner Shri Prithipal Singh S/o Shri Sardar Singh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period ot 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 34 measuring 2100 sq. yds. in Industrial Colony known as DLF Industrial Estate No. II, Village Palla, Haryana Distt. Gurgaon.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 471 of November, 1976 of the Registering Authority, Delhi).

R. K. PATHANIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date : 22-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 22nd July 1977

Ref. No. PNP/18/76-77.—Whereas, I, R. K. PATHANIA, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. E-15, Industrial Area, situated at Panipat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Panipat in December, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/S Rama Engineering and Weaving Industrial Co-operative Society Ltd. Panipat through Shri Brahm Vir Saini, R/o 260-Model Town, Panipat.

(Transferor)

(2) M/s. R. K. Woollen Mills, Unit-II, Industrial Area Panipat
through Shri Siri Chand s/o Shri Telu Ram, R/o E-15, Indl. Area, Panipat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of Commercial property known as E-15, situated in Indl. Area, Panipat.

(Property as shown in the Registered Deed No. 6279 of December, 1976 of the Registering Authority, Panipat.)

R. K. PATHANIA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 22-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BHATINDA

Bhatinda, the 14th July 1977

Ref. No. AP 17/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Garhshanker
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Garhshanker on 1-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kanwaljit Kaur w/o Shri Harbans Singh Sethi, Shop No. 35, Grain Market, Garh Shanker (Jullundur).

(Transferor)

(2) Smt. Bakshish Kaur w/o Shri Gurmit Singh s/o Shri Partap Singh, V. Pandori Ganga Singh, Teh. Garh Shanker.

(Transferee)

[Person in occupation of the property]

(3) As per S. No. 2.

(4) Anybody interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 77 in Grain Market, Garh Shanker Distt. Jullundur as mentioned in registration deed No. 2185 dated 1-11-1976.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 14-7-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA.

Bhatinda, the 14th July 1977

Ref. No. AP 16/77-78.—Whereas I, P. N. MALIK being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable poperty having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at V. Kotowala Dakhli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Fazilka on 26-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ram Chander Urf Sh. Ram Chand s/o Sh. Chaman Lal s/o Sh. Sardari Mal, r/o Muktsar through Sh. Chaman Lal s/o Shi Sardari Mal, r/o Mut, Teh. Fazilka, Distt. Ferozepur.
(Transferor)

(2) 1. Sh. Nagar Singh s/o Sh. Jaimal Singh r/o Koto Wala Dhakli. 2. Sh. Bhar Singh s/o Sh. Nagar Singh, V. Kotowala Dhakli. 3. Sh. Darshan Singh and Mangel Singh s/o Sh. Delawar Singh, r/o Koto Wala Dhakli.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

117 Kanal 8 Marlas of agricultural land situated in village Koto Wala Dhakli as mentioned in the registration deed Nos. 1937, 1938 and 1939 dated 26-11-1976.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 14-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 2nd July 1977

Ref. No. A. P. 14/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Jaitu
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Jaitu on December 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Krishan Kumar s/o Sh. Kulwant Rai, Jaitu Mandi.
(Transferor)

(2) Shri Tirath Ram, Shri Bal Mukand, sons of Shri Kundan Lal, Jaitu.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 7508 sq. ft alongwith share of cinema building 1/10th share of the total land measuring 75085 sq. ft. alongwith cinema building situated at Baja Road, Jaitu. Registration deed No. 938 dated Dec. 1976.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA.

Bhatinda, the 2nd July 1977

Ref. No. A. P. 15/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Abohar on 15-12-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initial proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Maharaj Krishan s/o Shri Ram Rakhawa adopted son of Shri Tara Chand, Sukhera Basti, Abohar.

(Transferor)

(2) Shri Wariam Chand, Shri Chandi Ram sons of Shri Jaggu Ram s/o Shri Kalu Ram, Sukhera Basti, Abohar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

32 Kanals and 4 Marlas of agricultural land situated at 3 k.m. away from Abohar as mentioned in the Registration Deed No. 1381 dated 15-12-1976 of S. R. Abohar.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-7-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 2nd July 1977

Ref. No. A. P. 13/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Jaitu
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Jaitu on Dec., 1976
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

15—186GI/77

(1) Smt. Usha Rani w/o Sh. Pyare Lal, Jaitu Mandi.
(Transferor)

(2) Shri Jagdish Rai s/o Shri Bhagwan Dass, Jaitu Mandi.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3754 sq. ft. alongwith building of cinema 1/20th share of land 75085 sq. ft. alongwith cinema building situated at Baja Road, Jaitu. Registration deed No. in this case is 939 dated Dec., 1976.

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA.

Bhatinda, the 2nd July 1977

Ref. No. A. P. 12/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. As per schedule situated at Jaitu.
situated at Sabji Mandi, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Jaitu on Dec., 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Usha Rani w/o Sh. Pyare Lal, Jaitu Mandi.
(Transferor)

(2) Sh. Vinod Kumar, Sh. Anil Kumar sons of Sh. Ram Saran Dass, Jaitu.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2.

*(4) Anybody interested in the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3754 sq. ft. alongwith building of cinema 1/20th share of land 75085 sq. ft. alongwith cinema building situated at Baja Road, Jaitu. Registration deed No. 940 dated Dec., 1976.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-7-1977
Seal :

FORM ITNS———→

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA.

Bhatinda, the 14th July 1977

Ref. No. A. P. 18/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing
No. As per schedule situated Gholia Khurd.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Moga on 3-12-1196
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Bachittar Singh, Gurdial Singh, Dial Singh ss/o Shrimati Bhagwan Kaur wd/o Sh. Pala Singh r/o Gholia Khurd (Moga).

(2) Sh. Mukhtiar Singh, Baldev Singh s/o Sh. Gurdial Singh s/o Sh. Kapur Singh, Vill. Ranse Ke Kalan.

*(3) As per S. No. 2.

*(4) Anybody interested in the property.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 38 Kanals and 4 Marlas situated in village Gholia Khurd, Teh. Moga as mentioned in the registration deed No. 5354 dated 3-12-1976.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 14-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA.

Bhatinda, the 14th July 1977

Ref. No. A. P. 20/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Abohar. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Falika on Jan., 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sh. Suresh Kumar, Prem Parkash, Vijay Kumar sons of Sh. Ram Chand, r/o Abohar, Teh. Failka

(2) Sh. Lal Chand s/o Sh. Duni Chand s/o Sh. Dhirta Ram, r/o Abohar.

*(3) As per S. No. 2.

*(4) Anybody interested in the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop in Mandi Abohar as mentioned in registration deed No. 1595 dated 10-1-1977 and 1608 dated 11-1-1977.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 14-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA.

Bhatinda, the 14th July 1977

Ref. No. A. P. 19/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Abohar.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Falika on 11-1-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922, (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Balak Chand s/o Sh. Nathu Ram resident of Budhlada, Teh. Mansa.

(2) Sh. Charan Dass s/o Sh. Ram Chand, r/o Abohar.

*(3) As per S. No. 2.

*(4) Anybody interested in the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th share of a shop in Mandi Abohar as mentioned in registration deed No. 1617 dated 11-1-1977.

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 14-7-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR,

Jullundur, the 16th July 1977

Ref. No. 1683.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Kapurthala Road, Jullundur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Nov. 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Charan Singh s/o Sh. Deva Singh, Kapurthala Road, Jullundur city.

(Transferor)

(2) S/Sh. Satish Kumar & Pawan Chand ss/o Sh. Sham Lal Bahri, H. No. B. xxx—278/54, Kapurthala Road, Jullundur.

(Transferee)

*(3) Shri Sham Lal p/o M/s Bahri Sons, Jullundur [Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration sale deed no. 4340 of November, 76 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 16-7-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III, 54 RAFI AHEMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16.

Calcutta-16, the 16th July 77

Ref. No. 392/Acq. R-III/77-78/Cal.—Whereas, I, Kishore Sen,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 7, situated at Fern Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering at Alipore on 17-11-76
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Baidya Nath Roy, 2. Sri Shib Nath Roy 3. Sri Bhut Nath Roy, 4. Sri Monimoy Roy, 5. Sri Sudhamoy Roy, 6. Smt. Kamalini Debi, 7. Sri Shyamal Kumar Roy, 8. Sri Subrata Roy, 9. Sri Swapan Kumar Roy.

(Transferor)

(2) Sri Manoranjan Poddar & Smt. Geeta Poddar, 18/11/B, Fern Road, Calcutta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition o fthe said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel of land measuring two cottahs eleven chittacks and thirty eight sq. ft. at 7, Fern Road, Calcutta registered under Deed No. 5653 of 1976 before the District Registrar, Alipore.

KISHORE SEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Calcutta-16

Date : 16-7-77.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, 54 RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA-16.

Calcutta-16, the 18th July 77

Ref. No. 393/Acq. R-III/77-78/Cal.—Whereas, I, Kishore Sen,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11,
situated at Dover Lane, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Sealdah on 11.11.76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Aloke Kumar Ghosh Pratip Kumar Ghosh Diponkar Ghosh 1, Ballygune Park, Calcutta.

(Transferor)

(2) Smt. Lekha Roy Chowdhury 15/C, Sarat Ghosh Garden Road, Dhakuria, Calcutta-31.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel of land measuring two cottahs and six chittacks together with sructures of out houses and garages at the premises No. 11, Dover Lane, Calcutta under deed No. 946 of 1976 before the Sub-Registrar at Sealdah.

KISHORE SEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Calcutta-16.

Date :18-7-77.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR.

Jaipur, the 16th July 1977

Ref. No. Raj/IAC(Acq)/371.—Whereas, I, CHUNNI LAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 9 situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Jaipur on 1.12.1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Secton 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Sushila Devi Wd/o Dr. Shyam Lal R/o 44, Linton Road, Dehradun (U.P.).

(2) Svs. Suresh Chand, Subhash Chand, Manoj Kumar Sons of Nangram and Smt. Pushpa Jain W/o Sobhagmal R/o 2032 A, Barphwali Gali, Kinari Bazar, Delhi.

Objections, if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 9, Hospital Road, C-Scheme, Jaipur more fully described in the conveyance deed registered by Sub-Registrar Jaipur at S. No. 2371 dated 1.12.1976.

CHUNNI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 16th July, 1977.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, JAIPUR.

Jaipur, the 16th July 77

Ref. No. Raj/IAC(Acq)/370.—Whereas, I, CHUNNI LAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 40, Kota situated at Kota
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kota on 11.3.77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vimla bai W/o Vijay Singh Vaid, Smt. Kanchan Bai W/o Ratan Lal Vaid. & Shri Panna Lal Vaid S/o Sohan Lal Vaid, R/o Bhimganj Mandi, Kota.

(Transferor)

(2) Shri Kanhiya Lal S/o Kedar Lal Rathore, 2. Shri Banwari Lal S/o Keshav Lal Rathore, 3. Smt. Nathi bai W/o Kedar Lal Rathore, R/o Chhabara Distt. Kota.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Constructed house on Plot No. 40, New Grain mandi, Kota. More fully described in the conveyance deeds registered by Sub-Registrar Kota at S. No. 238, 239, 237 dated 11.3.77.

CHUNNI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 16th July, 1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JAIPUR.

Jaipur, the 7th July 1977

Ref. No. Raj/IAC(Acq) 369.—Whereas, I, CHUNNI LAL,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A-33 situated at Tilak Nagar, Jaipur
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jaipur on 10th Jan., 1977
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shanti Lal Baphana s/o Shri Munna Lal Baphana R/o D-22, Moti Dungri, Road Jaipur.
(Transferor)

(2) Shri Krishan Awatar, Surendra Pratap, Mahesh Chand and Sushil Kumar S/o Sh. Kedarnath Bhoot, R/o A-33, Tilak Nagar, Jaipur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. A-33 Prabhu Marg, Tilak Nagar, Jaipur alongwith construction thereon more fully described in the sale-deed registered by the Sub-Registrar, Jaipur at S. No. 16 dated 10th Jan., 1977.

CHUNNI LAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 7th July 1977
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977